सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2016 की संख्या 9

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों
के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2016 की संख्या 9

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों
के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

प्राक्कथन			iii
कार्यकारी सार			v
अध्याय 1	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन**		
	1.1	प्रस्तावना	1
	1.2	सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश	4
	1.3	सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश पर प्रतिफल	12
	1.4	घाटे वाली सीपीएसईज	17
	1.5	सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता	18
	1.6	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	20
अध्याय 2	**सीएजी की निरीक्षण भूमिका**		
	2.1	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	23
	2.2	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	23
	2.3	सीपीएसईज द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	24
	2.4	सीएजी का निरीक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	26
	2.5	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	29
	2.6	लेखांकन मानकों से विचलन	44
	2.7	प्रबन्धन पत्र	48
अध्याय 3	**निगमित अभिशासन**		
	3.1	निगमित अभिशासन	49
	3.2	निदेशक मण्डल	51
	3.3	लेखापरीक्षा समिति	57
	3.4	नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति	61
	3.5	सहायक कम्पनियां	62
	3.6	जोखिम प्रबन्धन समिति	62
	3.7	साचिविक लेखापरीक्षा	62

अध्याय 4 **सीपीएसईज में नकद अधिशेष का प्रबंधन**

4.1	प्रस्तावना	65
4.2	समीक्षा हेतु विषय के चयन का औचित्य	65
4.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	66
4.4	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, मानदंड तथा कार्य-प्रणाली	66
4.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	67
4.6	बोर्ड द्वारा अभिशासन और मंत्रालय द्वारा निरीक्षण	76

परिशिष्ट 79-96

प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते है जो सीएजी के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन है। सीएजी अपना मत प्रकट करते है अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक व्यवस्था करते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उस विधि के विषय में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदार घाटी निगम नाम के पांच निगमों के संदर्भ में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के संदर्भ में कानून के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात पूरक लेखापरीक्षक करने का अधिकार है।

3. 1984 में संशोधित अनुसार नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए मार्च 2015 में समाप्त वर्ष के लिए एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाई गई है।

4. इस रिपोर्ट में समीक्षित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) के लेखे वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (प्राप्ति की सीमा तक) के लेखाओं को कवर करते है। ऐसे सीपीएसईज जहां 30 नवम्बर 2015 से पूर्व किसी विशिष्ट वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे, के संदर्भ में पिछले वर्ष लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े लिए गए है

5. कुछ सीपीएसईज के संदर्भ में, पिछले वर्ष के ऑकड़े अस्थायी आंकड़ों के लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों में प्रतिस्थापन के कारण 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 2 में दर्शाए गए पत्राचार के आंकड़े से मेल नहीं रखा सकते।

6. यदि इस संदर्भ में कोई अन्य परामर्श न दिया जाए तो इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसईज' के सभी संदर्भों को 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' से संबंधित समझा जाएं।

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2015 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 570 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इनमें 390 सरकारी कम्पनियां, 174 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा छः सांविधिक निगम शामिल थे। यह रिपोर्ट 365 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों (छः सांविधिक निगमों सहित) और 156 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां की चर्चा करती है। उन्नचास कम्पनियां (19 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां सहित) जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षो से लम्बित थे या जो निष्क्रीय/परिसमापन के अन्तर्गत थी, को रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[पैरा 1.1.3]

सरकारी निवेश

365 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं ने दर्शाया कि भारत सरकार ने शेयर पूंजी में ₹ 2,65,499 करोड़ का निवेश किया था तथा 31 मार्च 2015 तक ₹ 51,642 करोड़ की राशि का ऋण बकाया था। पिछले वर्ष की तुलना में सीपीएसईज की इक्विटी में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निवेश ने ₹ 15,512 करोड़ की निवल वृद्धि हुई तथा उनको दिए गए ऋण ₹ 3,110 करोड़ तक कम हुए। भारत सरकार ने 7 सीपीएसईज में अपने शेयरों के विनिवेश पर ₹ 24,349 करोड़ की प्राप्ति की तथा प्राथमिक शेयरो के विमोचन के कारण ₹ 563 करोड़ प्राप्त किए।

[पैरा 1.2.1 तथा 1.2.2]

बाजार पूंजीकरण

46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित) जिन्होंने 31 मार्च 2015 तक स्टॉक मार्केट में प्रचलित मूल्यों के अनुसार व्यापार किया था, के शेयरों का बाजार

मूल्य ₹ 13,27,781 करोड़ था। 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियोंय (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2015 तक ₹ 9,27,531 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

205 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा अर्जित कुल लाभ ₹ 1,37,338 करोड़ था जिसमें से 66 प्रतिशत (₹ 90,901 करोड़) तीन क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलिमय, कोयला एवं लिग्नाइट तथा विद्युत के अन्तर्गत 48 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा दिया गया था।

[पैरा 1.3.1]

एक सौ बारह सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 57,749 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से, भारत सरकार द्वारा प्राप्त करने योग्य लाभांश ₹ 33,771 करोड़ था जिसने सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 2,65,499 करोड़) पर 12.72 प्रतिशत प्रतिफल प्रस्तुत किया।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत दस सरकारी कम्पनियों ने सभी सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 25.40 प्रतिशत प्रस्तुत करते हुए ₹ 14,667 करोड़ का योगदान दिया।

17 कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकार के निर्देश का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 के लाभांश के भुगतान में ₹ 2,521 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल परिसम्पत्ति/संचित हानि

157 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, जिनमें संचित हानि थी, में से, 64 कम्पनियों में इक्विटी निवेश को उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। परिणामस्वरूप, इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति 31 मार्च 2015 तक ₹ 74,100 करोड़ की सीमा तक नकारात्मक हो गई थी। 2014-15 के दौरान 64 कम्पनियों में से केवल सात कम्पनियों ने ₹ 304 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

564 सीपीएसईज में से 483 सीपीएसईज से समय पर (अर्थात 30 सितम्बर 2015 तक) वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखे प्राप्त किए गए थे। इनमें से 277 सीपीएसईज के लेखों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.3.2 तथा 2.5.2]

वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सीएजी ने सर्वसम्मति के आधार पर सीपीएसईज के लेखो की तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। यह उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार का कारण बना था। वर्ष 2014-15 के लिए 57 सीपीएसईज में तीन चरणीय लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव लाभदायिकता पर ₹ 8387.82 करोड़ था तथा परिसम्पत्तियों/ देयताओं पर ₹ 16,394.97 करोड़ था।

[पैरा 2.5.1]

लेखाओं पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के फलस्वरूप सीएजी द्वारा बहुत सी टिप्पणियां जारी की गई थी। सांविधिक निगमो जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणियों के अलावा ₹ 405.34 करोड़ की राशि की चूको में सुधार सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किया गया था।

[पैरा 2.5.3]

लेखांकन मानको से विचलन

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 31 सरकारी कम्पनियों में वित्तीय विवरणों के तैयार करने में लेखांकन मानको के प्रावधानों से विचलन देखा गया था। सीएजी ने भी 20 अन्य कम्पनियों में ऐसे विचलनो को दर्शाया।

[पैरा 2.6]

प्रबन्धन पत्र

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई वित्तीय रिपोर्टो मे या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमतितता तथा कमियों का सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबन्धन पत्र' के माध्यम 104 सीपीएसईज के प्रबंधन को बताया गया था।

[पैरा 2.7]

III. निगमित अभिशासन

इस अध्याय में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 49 कम्पनियों को कवर किया गया है। यद्यपि, डीपीई/ सिक्युरिटिज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशानिर्देश अनिवार्य है, तथापि कुछ सीपीएसईज द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा है। निर्धारित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- 29 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं था। 16 सीपीएसईज में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2.1 तथा 3.2.2.2]

- 18 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशको तथा कार्यकारी निदेशकों के पद को क्रमश: तीन तथा छ: माह बीत जाने के पश्चात भी भरा नहीं गया था। दो सीपीएसईज में लेखापरीक्षा समिति की चार से कम बैंठके आयोजित की गई थी।

[पैरा 3.2.5 तथा 3.3.5]

- पांच सीपीएसईज मे कोई चेतावनी तंत्र नहीं था। चार सीपीएसईज में लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र की समीक्षा नहीं की।

[पैरा 3.3.9]

IV. सीपीएसईज द्वारा नकद अधिशेष का प्रबंधन

सीपीएसईज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 31 मार्च 2015 तक, 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के पास ₹ 1,62,970 करोड़ का नकद और बैंक बैलेंस तथा 31 जुलाई, 2015 तक ₹13,50,506 करोड़ की बाजार पूंजी थी। 36 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के अधिशेष नकद के प्रबंधन के अध्याय को लाभांश भुगतान, बोनस शेयरों के मुद्दे, शेयरों को पुन: खरीदना तथा निवेश नीति पर इन सीपीएसईज द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। इसकी भी जांच की गई थी कि क्या सीपीएसईज के पास अधिशेष नकद का उपयोग करने के लिए पर्याप्त परियोजना योजनाएं है। सुरक्षा, नकदी तथा लाभदायिकता के मामलों को सम्बोधित करने के लिए निवेश की सुरक्षा और भौतिक सत्यापन तथा ऋणों के पुन: भुगतान पर सीपीएसईज द्वारा लिए गए निर्णय, म्युचुअल फंड और इक्विटी में निवेश की भी जांच की गई थी।

[पैरा 4.1.2, 4.3 तथा 4.5.4]

- चार सीपीएसईज ने कर के पश्चात् पर्याप्त लाभ रखने के बावजूद डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक रूप में ₹ 1,718 करोड़ का लाभांश संवितरित नहीं किया।

[पैरा 4.5.1.2]

- तीन सीपीएसईज ने अधिक मुक्त रिजर्व रखने के बावजूद अपर्याप्त पीएटी के कारण डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में ₹ 5,237 करोड़ का लाभांश संवितरित नहीं किया।

[पैरा 4.5.1.3]

- 27 सीपीएसईज के मामले में, मुक्त रिजर्व उनकी भुगतान की गई पूंजी के तीन गुना अधिक थे। हालांकि, 24 सीपीएसईज के मामले में डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे। बॉमर लॉरी एंड क. लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की तीन सीपीएसईज के मामले में बोनस शेयरो के जारी होने के पश्चात भी उनके रिजर्व उनकी भुगतान की गई पूंजी के तीन गुना से अधिक थे। उन्होने डीपीई दिशानिर्देशो के अनुसार बोनस शेयरो के मामले पर विचार नहीं किया।

[पैरा 4.5.2.2]

- आठ सीपीएसईज के मामले में, प्रबंधनों को डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में शेयरो को पुन: खरीदने की व्यवस्था करने के लिए संबंधित अनुच्छेदो में अभी संशोधन करना है।

[पैरा 4.5.3.2]

- नकद अधिशेष के उपयोग को 23 सीपीएसईज के एमओयूज में निष्पादन को मॉनीटर करने के लिए एक वित्तीय पैरामीटर के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था।

[पैरा 4.5.3.4]

- एमएमटीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, दी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड, दी फर्टीलाइजर एंड केमिक्लस

ट्रॉवनकोर लिमिटेड तथा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर लिमिटेड नाम की दस सीपीएसईज ने डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में नकद अधिशेष का निवेश करने के लिए अपनी निवेश नीति की व्यवस्था नहीं की।

[पैरा 4.5.4.1]

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उदयमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता है। शब्द केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक **सरकारी कम्पनी**[1] की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केंद्रीय सरकार द्वारा आशिंक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आशिंक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी[2] को इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में दर्शाया गया है।

---

[1] लोक उद्यम विभाग (डीपीई) उन सीपीएसईज को कम्पनी के रूप में मानता है जिसमें केन्द्र सरकार के पास 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी या उसकी धारण कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी 50 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व रखती है। सीएजी और डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अन्तर के दृष्टिगत, सीएजी और डीपीई द्वारा सीपीएसईज के रूप में मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

[2] कार्पोरेट अफेयर मंत्रालय -(कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014, दिनांक 4 सितम्बर 2014

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सीएजी कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक) की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिनके अनुसार लेखों की लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की मात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अधिशासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2014-15 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2014-15 (अथवा पिछले वर्षों जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया हो) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं।

प्रतिवेदन में कॉरपोरेट अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और कोरपोरेट गर्वनेस पर सिक्युरिटिज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसईज़ द्वारा पालन की समग्र स्थिति का भी वर्णन किया गया है।

1.1.3 सीपीएसईज़ और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2015 को, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 570 सीपीएसईज थी। इनमें 390 सरकारी कम्पनियां, छह सांविधिक निगम और 174 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां शामिल थी। इस प्रतिवेदन में समग्र कवरेज तथा इन सीपीएसईज़ का स्वरूप निम्निलिखित तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

- **सरकारी कम्पनियां** **390**
- **सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां** **174**
- **सांविधिक निगम** **6**
- **कुल सीपीएसईज** **570**

तालिका 1.1: प्रतिवेदन के अंतर्गत कवरेज तथा सीपीएसईज का स्वरूप

सीपीएसई का स्परूप	सीपीएसईज की कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या				प्रतिवेदन में शामिल न की गई सीपीएसईज़ की संख्या
		2014-15 तक लेखें	निम्न तक लेखें		जोड़	
			2013-14	2012-13		
सरकारी कम्पनियां	390	335	22	2	359	31
सांविधिक निगम	6	5	1	0	6	0
कुल कम्पनियां/निगम	396	340	23	2	365	31
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां	174	150	4	2	156	18
जोड़	**570**	**490**	**27**	**4**	**521**	**49**

नई/बन्द सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के ब्यौरे ***परिशिष्ट-I*** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 49 सीपीएसईज़ (18 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक के लिए बकाया में थे अथवा समाप्त/परिसमापन के अन्तर्गत थे अथवा पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे अथवा पहले लेखे देय नहीं थे, को शामिल नहीं किया गया है। इन सीपीएसईज को दो सितारों (**) के द्वारा ***परिशिष्ट-II*** में दर्शाया गया है।

सीपीएसईज़ का आशुचित्र
(सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

सीपीएसईज़ की संख्या	**396**
इस अध्याय में शामिल सीपीएसईज़	**365**
प्रदत पूंजी (365 सीपीएसईज़)	**₹ 3,51,961 करोड़**
दीर्घकालीन कर्जे (365 सीपीएसईज़)	**₹ 9,81,300 करोड़**
बाजार पूंजीकरण (46 सूचीबद्ध कम्पनियां)	**₹ 13,27,781 करोड़**
निवल लाभ (205 सीपीएसईज़)	**₹ 1,37,338 करोड़**
निवल हानि (135 सीपीएसईज़)	**₹ 30,341 करोड़**
घोषित लाभांश (112 सीपीएसईज़)	**₹ 57,749 करोड़**
कुल परिसम्पतियां (365 सीपीएसईज़)	**₹ 34,73,744 करोड़**
उत्पादन का मूल्य (365 सीपीएसईज़)	**₹ 15,01,603 करोड़**
कुल मूल्य (365 सीपीएसईज़)	**₹ 12,54,040 करोड़**

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2015 के अंत में 365[3] सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश और कर्ज़ की सीमा निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं। कुछ सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने भी इन सीपीएसईज में निवेश में योगदान किया था। ब्यौरें निम्नलिखित तालिका 1.2 में दिए गए है:

तालिका 1.2 : सरकारी कंपनियां एवं निगमों में इक्विटी निवेश तथा कर्जे

(₹ करोड़ में)

स्रोत	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़ें	जोड़	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़ें	जोड़
1.केन्द्रीय सरकार	2,65,499	51,642	**3,17,141**	2,49,987	54,752	**3,04,739**
2.केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां/निगम	40,593	15,220	**55,813**	35,198	17,353	**52,551**

[3] 396 सीपीएसईज - 31 सीपीएसईज जिनके लेखे बकाया में थे

3.राज्य सरकारें/राज्य सरकार की कम्पनियां/निगम	21,426	22,114	**43,540**	19,897	7,763	**27,660**
4.वित्तीय संस्थाएं/अन्य	24,443	8,92,324	**9,16,767**	21,263	7,99,734	**8,20,997**
जोड़	**3,51,961**	**9,81,300**	**13,33,261**	**3,26,345**	**8,79,602**	**12,05,947**
कुल के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिशतता	75.43	5.26	23.79	76.60	6.22	25.27

मंत्रालय/विभाग द्वारा इक्विटी तथा दिए गए कर्ज़ों के वार विवरण सीएजी वेबसाइट <www.saiindia.gov.in पर उपलब्ध है।

1.2.1 इक्विटी निवेश

1.2.1.1 इक्विटी सूचना

2014-15 के दौरान, इन 365 सीपीएसईज़ के इक्विटी में निवेश में ₹ 25,616 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज हुई। भारत सरकार का निवेश इन 365 सीपीएसईज़ की इक्विटी में 2014-15 में ₹ 15,512 करोड़ तक बढ़ गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार और अन्यों द्वारा सरकारी कम्पनियों और निगमों में इक्विटी निवेश चार्ट-1 में दर्शाया गया है।

चार्ट I: सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश

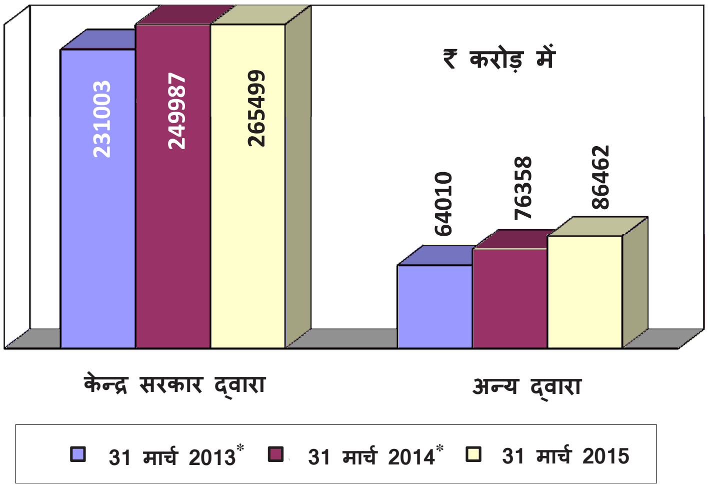

(पिछले वर्षों के आँकड़े 2014-15 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उस वर्ष के लिए लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसईज़ की प्रदत्त पूंजी में 2014-15 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश के ब्यौरे तालिका 1.3 में दिए गए हैं:

तालिका 1.3: केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश

(₹ करोड़ में)

सीपीएसईज का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी आफ इण्डिया	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	11817
सरकारी कम्पनियां		
दिल्ली मेट्रो रेल कापोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास	1053
डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कार्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे	1008
अन्य		1634
जोड़		**15512**

1.2.1.2 विनिवेश

वर्षवार विनिवेश लक्ष्य और 31 मार्च 2015 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान सीपीएसईज के संबंध में भारत सरकार द्वारा उनके प्रति उदग्रहीत की गई राशि को चार्ट-II में दर्शाया गया है:

चार्ट II: विनिवेश लक्ष्य तथा वास्तविक उदग्रहण
(₹ करोड़ में)

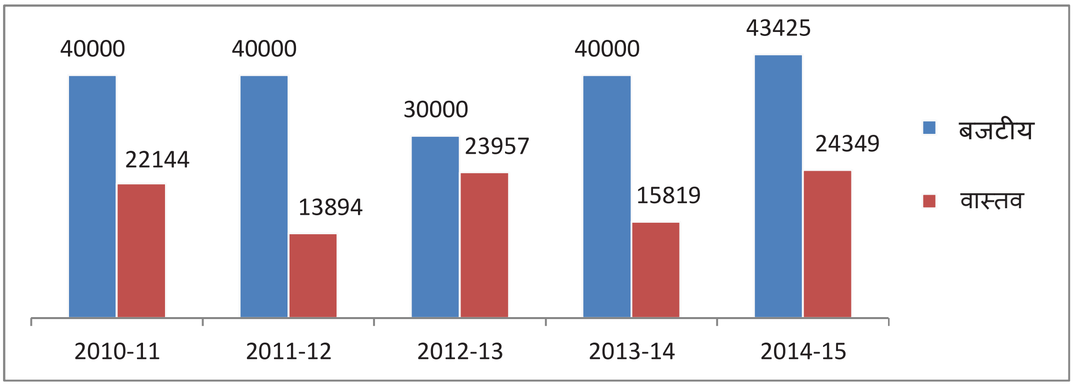

- वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 43,425 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 24,349[4] करोड़ की उगाही की। सीपीएसई की विनिवेश लाभ की प्राप्ति को तालिका 1.4 में दिया गया है।

[4] स्रोत: http//www.nic.in/Summary Sale.asp and www .indiabudget.nic.in

तालिका 1.4: विनिवेश लाभ की प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों का अंकित मूल्य	सरकार द्वारा उगाही की गई राशि
1	कोल इंडिया लिमिटेड	11.15	631.64	22558
2	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6.25	206.53	1720
3	एनटीपीसी लिमिटेड	0.06	3.48	48
4	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	0.16	1.63	13
5	एमएमटीसी	0.08	0.37	4
6	हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड	0.06	0.24	3
7	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.32	1.40	3
जोड				**24349**

इसके अतिरिक्त ₹ 563 करोड़ सीपीएसईज द्वारा अधिमान शेयरों के विमोचन के कारण प्राप्त हुए थे जैसाकि तालिका 1.5 दिया गया है।

तालिका: 1.5: अधिमान शेयरों के विमोचन का विवरण

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	550
2	मेकोन लिमिटेड	13
	जोड़	**563**

1.2.2 सरकारी कंपनियों और निगमों को दिए गए ऋण

2014-15 के दौरान सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालीन ऋणों ने ₹ 1,01,698 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की। सरकारी कंपनियों और निगमों में बकाया दीर्घावधि ऋणों के वर्षवार ब्यौरों को चार्ट III में दर्शाया गया है।

चार्ट III: सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए बकाया दीर्घकालीन कर्ज

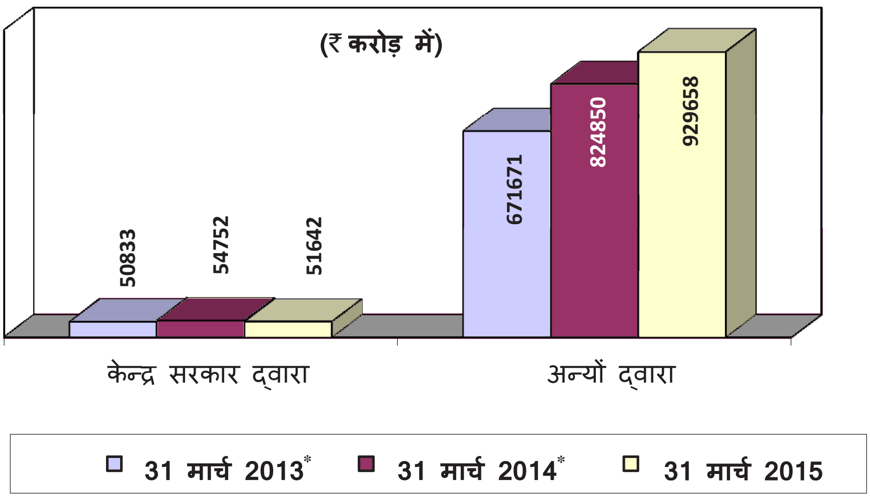

*(*पिछले वर्षों के आँकड़े 2014-15 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उन वर्षों के लेखे प्राप्त हुए थे)*

31 मार्च 2015 को सभी स्त्रोतों से 365 सीपीएसईज़ में बकाया कुल दीर्घकालीन कर्जे ₹ 9,81,300 करोड़ के थे। 2014-15 के दौरान उनके दीर्घकालीन कर्जों के प्रति कुल परिसम्पत्तियों की धनात्मक तथा ऋणात्मक कवरेज की तुलना तालिका 1.6 में दी गई है:

तालिका 1.6: दीर्घावधि ऋणों के साथ कुल परिसम्पत्तियों का कवरेज

	धनात्मक कवरेज़				ऋणात्मक कवरेज़			
	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्प-त्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्प-त्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्प-त्तियों की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	3	46675	232462	498.04				
सूचीबद्ध कम्पनियां	32	612423	1596598	260.70	2	3765	347	9.22
असूचीबद्ध कम्पनियां	105	305004	842787	276.32	19	13433	1648	12.27
कुल	**140**	**964102**	**2671847**		**21**	**17198**	**1995**	

दो सूचीबद्ध कम्पनियों सहित इक्कीस सीपीएईज़ की उनकी कुल परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक कर्ज थे। वही 204 सीपीएसईज़ (तीन सांविधिक निगम सहित) थीं जिनके ऊपर कोई दीर्घावधि कर्ज नहीं था।

❖ ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज एवं कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतना ही अधिक कम्पनी पर ऋण खर्च का भार होता है। एक से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि ब्याज खर्च को पूरा करने के लिए कम्पनी पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण का ब्यौरा तालिका 1.7 में दिया गया है:

तालिका 1.7: ब्याज कवरेज़ अनुपात

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	सीपीएसई[5] की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाली सीपीएसइज़ की संख्या
	(₹ करोड़ में)				
सांवधिक निगम					
2012-13	1548	3361	3	2	1
2013-14	2312	3836	3	2	1
2014-15	2727	3979	3	2	1
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2012-13	39986	110679	32	20	12
2013-14	43904	127865	32	22	10
2014-15	47410	111664	34	23	11
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2012-13	16452	48135	119	51	68
2013-14	17754	30908	118	56	62
2014-15	18779	33995	124	57	67

यह देखा गया था कि सूचीबद्ध के साथ-साथ असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान बढ़ गई थी।

[5] उन सीपीएसईज़ को छोडकर जिनकी ब्याज पर कोई देयता नहीं है

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा निवेशित पूंजी 156 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों[6] में चार्ट IV में वर्णित की गई है:

चार्ट IV: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में शेयर पूंजी की संरचना

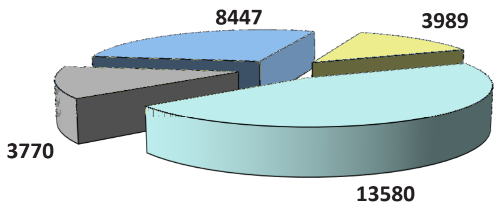

(₹ करोड़ में)

- वित्तीय संस्थाएं एवं बैंक – ₹ 8,447 करोड़
- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां एवं निगम– ₹ 13,580 करोड़
- राज्य सरकार, राज्य सरकारी कम्पनियां एवं निगम– ₹ 3,989 करोड़
- अन्य– ₹ 3,770 करोड़

31 मार्च 2015 को इन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में इक्विटी ₹ 29,786 करोड़ थी। इन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में इक्विटी ₹ 2,785 करोड़ तक बढ़ गई अर्थात 2013-14 में ₹ 27,001 करोड़ से बढ़ कर 2014-15 में ₹ 29,786 करोड़ हो गई।

1.2.4 सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश पर बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी के बकाया शेयरों के बाजार मूल्य के आधार का माप है। 59 सरकारी कम्पनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए थे जिनमें 46 सरकारी कम्पनियां, सरकारी कम्पनियों की पाँच सहायक कम्पनियां और आठ[7] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां शामिल हैं।

- ❖ 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2014-15 के दौरान 42 कम्पनियों के शेयरों में ट्रेडिंग[8] हुई थी। सरकारी कम्पनियों की पाँच सहायक कम्पनियों के संबंध में वर्ष के दौरान चार में ट्रेडिंग हुई थी और ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयर की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

---

[6] कम्पनी वार ब्यौरा सीएजी वेबसाईट <www.saiindia.gov.in> पर उपलब्ध हैं

[7] (1) इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड, (2) इन्डबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड, (3) पीएनबी गिल्टस लिमिटेड, (4) दी बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, (5) उडीसा मिनरल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, (6) तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, (7) टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और (8) आईएफसीआई लिमिटेड

[8] 2014-15 के दौरान (1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस एमएफजी. कम्पनी लिमिटेड, (3) इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (4) केआईओसीएल लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

❖ 31 मार्च 2014 तक ₹ 11,06,657 करोड़ की तुलना में 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (चार सहायक कम्पनियों सहित) में शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2015 तक ₹ 13,27,781 करोड़ था। 31 मार्च 2014 की तुलना में, 31 मार्च 2015 तक शेयरों का कुल बाजारी मूल्य ₹ 2,21,124 करोड़ (19.98 प्रतिशत) तक बढ़ गया था। 31 मार्च 2015 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 13,13,368 करोड़ था जिनमें से भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 9,27,531 करोड़ तक था। इस अवधि के दौरान, बीएसई सेंसेक्स 22,386.27 (31 मार्च 2014 को) से बढ़कर 27,957.49 (31 मार्च 2015 को) हो गया, जो 24.90 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, तथापि बीएसई-पीएसयू इन्डैक्स 19.70 प्रतिशत तक बढ़ गया (31 मार्च 2014 को 6354.61 से 31 मार्च 2015 तक 7607.95)।

❖ 31 मार्च 2015 तक 4 सहायक सरकारी कम्पनियों के शेयरों का बाज़ार मूल्य जिन, शेयरों की ट्रेडिंग 2014-15 के दौरान हुई थी, ₹14,413 करोड़ रहा था। 31 मार्च 2014 की तुलना में 31 मार्च 2015 तक चार सरकारी सहायक कम्पनियों में सरकारी कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य बढ़ कर ₹ 3,505 करोड़ तक हो गया था।

❖ 31 मार्च 2015 को अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाली टॉप 10 सीपीएसईज़ तालिका 1.8 में दी गई हैं।

तालिका 1.8: उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसईज़

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	262482
2	कोल इण्डिया लिमिटेड	228905
3	एनटीपीसी लिमिटेड	121497
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	89421
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	75962
6	भारत पैट्रालियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58566
7	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	57506
8	एनएमडीसी लिमिटेड	51561
9	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	49325
10	पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	36004

34 सीपीएसईज़ में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई और अन्य आठ सीपीएसईज़ में कमी हुई। बाजार पूंजीकरण में ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि वाले सीपीएसईज़ तालिका 1.9 में दिए गए है:

तालिका 1.9: ₹ 10,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि वाले सीपीएसईज़

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2015 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2014 को बाजार पूंजीकरण	अंतर
1	कोल इंडिया लिमिटेड	228905	181848	47057
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58566	33284	25282
3	एनटीपीसी लिमिटेड	121497	98904	22593
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	89421	67740	21681
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	75963	54958	21005
6	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	26778	9157	17621
7	कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	30830	18990	11840
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	22014	10489	11525
9	पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	36004	25530	10474
10	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	32848	22593	10255

1.3. सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित लाभ

लाभ[9] कमाने वाली सीपीएसईज़ की संख्या 2014-15 के दौरान 205 थी, तथापि अर्जित लाभ 2013-14 में ₹ 1,54,484 करोड़ से 2014-15 में ₹ 1,37,338 करोड़ तक घट गया था। 2012-15 के दौरान लाभ कमाने वाली सीपीएसईज की संख्या चार्ट-V में दर्शाई गई हैं।

[9] ब्याज और कर से पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी, कर पश्चात लाभ, लाभांश, निवल सम्पत्ति, निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात लाभ का अनुपात, लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात तथा इक्विटी के प्रति लाभांश को दर्शाने वाली 365 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विश्लेषण सीएजी वेबसाईट <www.saiindia.gov.in> पर उपलब्ध है।

चार्ट V: लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसईज़ की संख्या

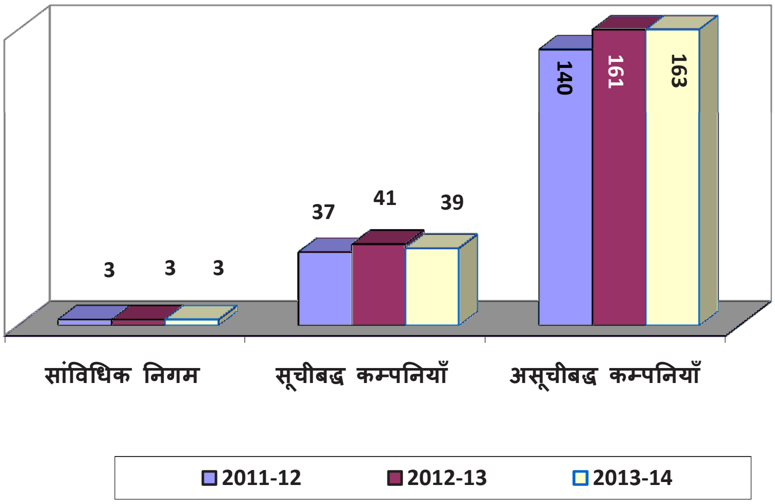

वर्ष 2014-15 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.10 में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.10: वर्ष 2014-15 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसईज़ की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	6	36373	26.48
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	5	2887	2.10
जोड़	11	39260	28.58
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	14963	10.90
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	13334	9.71
जोड़	9	28297	20.61
3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	19071	13.89
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	24	4273	3.11
जोड़	28	23344	17.00
जोड़ (1) से (3)	**48**	**90901**	**66.19**

2013-14 के दौरान 41 सीपीएसईज़ द्वारा 65 प्रतिशत योगदान की तुलना में इन तीन क्षेत्रों में 48 सीपीएसईज़ द्वारा योगदान 2014-15 के दौरान अधिक से अधिक 66 प्रतिशत (₹ 90,901 करोड़) किया गया था।

निम्नलिखित सीपीएसईज़ की सूची है जिन्होंने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया था जिसे तालिका 1.11 में दिया गया है:

तालिका 1.11: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक लाभ वाले सीपीएसईज़ की सूची

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17733
2	कोल इंडिया लिमिटेड	13383
3	एनटीपीसी लिमिटेड	10291
4	एनएमडीसी लिमिटेड	6422
5	पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5959
6	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	5273
7	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5260
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5085
कुल		**69406**

यह देखा जा सकता है कि इन आठ सीपीएसईज़ ने 2014-15 के दौरान 205 सीपीएसईज़ द्वारा कुल अर्जित लाभ का 51 प्रतिशत का योगदान किया।

1.3.2 सीपीएसईज़ द्वारा लाभांश भुगतान

2014-15 में अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका 1.12: अर्जित लाभ और लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश			
	सीपीएसईज़ की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश
सांविधिक निगम	2	725	2141	429
सूचीबद्ध कंपनियां	34	58125	97471	40424
असूचीबद्ध कंपनियां	76	47762	30826	16896
कुल	**112**	**106612**	**130438**	**57749**

2014-15 में लाभांश की घोषणा करने वाले 112 सीपीएसईज़ थे। इन सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2013-14 में 48.56 प्रतिशत से घट कर 2014-15 में 44.27 प्रतिशत हो गया, जिसे चार्ट VI में दर्शाया गया है। कुल मिलाकर, सीपीएसईज़ द्वारा 2014-15 में घोषित लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8,446 करोड़ तक घट गया।

चार्ट VI: निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश

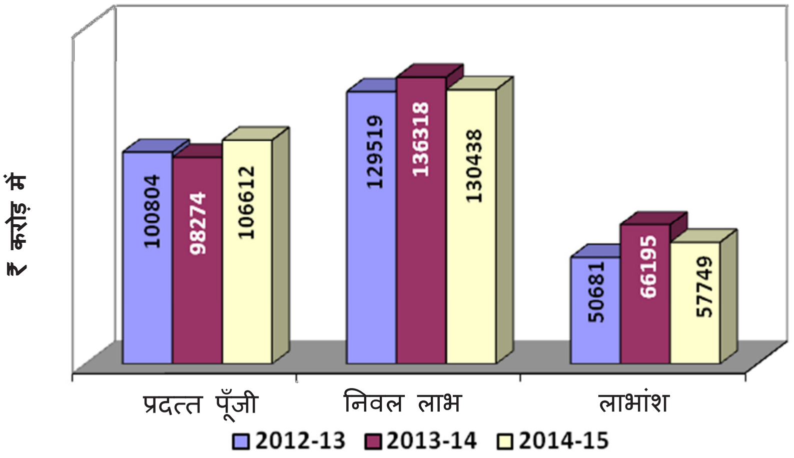

चालू वर्ष में 112 सीपीएसईज़ द्वारा घोषित ₹ 57,749 करोड़ के कुल लाभांश में से, भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 33,771 करोड़ था। सम्पूर्ण बोर्ड की सभी सरकारी कम्पनियों और कॉर्पोरेशनों में समग्र निवेश पर पाँच प्रतिशत की न्यूनतम रिटर्न के प्रति 2013-14 के दौरान 17.06 प्रतिशत की तुलना में 365 सीपीएसईज़ की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,65,499 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 12.72 प्रतिशत था। इसी प्रकार 29 सीपीएसईज़ ने अन्य सीपीएसईज़ की इक्विटी धारण में ₹4,883 करोड़ की दी गई पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 14,117 करोड़ प्राप्त किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 10 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 14,667 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2014-15 में विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 57,749 करोड़ के कुल लाभांश का 25.40 प्रतिशत था।

सितम्बर 2004 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि लाभ कमाने वाली सभी सीपीएसईज़, या तो इक्विटी पर या कर-पश्चात लाभ पर, जो भी अधिक हो, न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करेंगी। तेल, पेट्रोलियम, रसायन तथा अन्य आधारभूत क्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम लाभांश कर-

पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत था। तथापि, 17 कम्पनियाँ जिन्होंनें लाभांश घोषित किया था (तीन सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) ने लाभांश की घोषणा करते समय संबंधित सरकारी निर्देश का पालन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट - III*** में दिया गया है। इसके कारण 2014-15 में कुल कमी ₹ 2,521 करोड़ थी।

1.3.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल

156[10] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से, 109 कम्पनियों ने ₹ 5,179 करोड़ का लाभ कमाया। इन 109 कम्पनियों में से, 46 ने ₹ 1,166 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो उनकी ₹ 7,922 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी का 14.72 प्रतिशत का द्योतक था। 2014-15 के दौरान अड़तीस कम्पनियों को ₹ 2,247 करोड़ की हानि हुई। शेष नौ कम्पनियों ने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ नहीं किए थे।

2014-15 के दौरान 46 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा ₹ 1,166 करोड़ का घोषित लाभांश विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत कम्पनियों से आया जैसा कि तालिका 1.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.13: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	लाभांश
वित्तीय सेवाएँ	24	4070	1996	771
विद्युत	4	1730	396	155
बीमा	2	1200	988	140
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	2	446	395	44
पेट्रोलियम	3	255	121	23
परिवहन सेवाएं	1	164	27	20
व्यापार एवं विपणन	1	41	14	6
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	8	16	19	4
खनिज एवं धातु	1	1	18	3
	46	**7923**	**3974**	**1166**

[10] 174-18 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां जिनकें खाते बकाया में थे।

1.4 घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़

एक सौ पैंत्तीस सीपीएसईज़ को वर्ष 2014-15 के दौरान घाटा हुआ था। इन सीपीएसईज़ द्वारा उठाये गये घाटे में 2013-14 के दौरान ₹ 22,783 करोड़ से 2014-15 में ₹ 30,341 करोड़ तक की काफी वृद्धि हुई जिसका तालिका 1.14 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.14: वर्ष के दौरान हानियां उठाने वाली सीपीएसईज की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि उठाने वाली सीपीएसईज[11] की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल सम्पत्ति[12]
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम				
2012-13	0	0	0	0
2013-14	1	-995	0	14863
2014-15	1	-1334	0	13944
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2012-13	14	-11652	22375	4855
2013-14	10	-4574	21245	-5606
2014-15	12	-8750	25433	-11701
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां/ निगम				
2012-13	105	-17435	65250	53328
2013-14	105	-17214	71687	47185
2014-15	122	-20257	73994	47570
जोड़				
2012-13	**119**	**-29087**	**87625**	**58183**
2013-14	**116**	**-22783**	**92932**	**56442**
2014-15	**135**	**-30341**	**99427**	**49813**

वर्ष 2014-15[13] के दौरान सीपीएसईज जिन्होंने ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि वहन की तालिका 1.15 में दी गई है।

---

[11] फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा नेशनल हाइवेज आथॅरिटी ऑफ इंडिया जिनके घाटे की भारत सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है को इस तालिका में शामिल नहीं किया गया है।

[12] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा नि:शुल्क आरक्षित निधि तथा बेशी रहित संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय का कुल जोड। नि:शुल्क आरक्षित निधि का अर्थ है लाभों तथा शेयर प्रीमियम लेखा में से सृजित सभी राजस्व परन्तु परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा मूल्यह्रास प्रावधान के प्रतिवेदन में से सृजित राजस्व को शामिल नहीं किया गया है।

[13] एयर इंडिया का खाता बकाया में है वर्ष 2014-15 के लिए अनंतिम हानि, 2013-14 के दौरान ₹ 6280 करोड़ की हानि के प्रति ₹ 5860 करोड थी।

तालिका 1.15: ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि उठाने वाली सीपीएसईज

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	2014-15 में निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	8,234
2	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	2,833
3	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्यूफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	2,163
4	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	1,712
5	दामोदर वैली कोर्पोरेशन	1,334

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2015 तक 157 सीपीएसईज थे, जिनकी संचित हानि ₹ 1,10,285 करोड़ थी। वर्ष 2014-15 के दौरान 157 सीपीएसईज में से 113 सीपीएसईज ने ₹ 15,397 करोड़ की राशि की हानि वहन की तथा वतर्मान वर्ष 2014-15 में 44 सीपीएसईज ने हानि नहीं उठाई थी यद्यपि उन्हें ₹ 10,837 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

64 सरकारी कम्पनियों (157 में से) की निवल सम्पत्ति संचित हानि द्वारा पूरी तरह क्षरित की गई थी और उनकी निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 64 कम्पनियों की निवल संपत्ति 31 मार्च 2015 को ₹ 21,847 करोड़ इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 74,100 करोड़ थी। इसमें छः सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति ₹ 1,792 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 22,749 करोड़ थी। 64 सीपीएसईज जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, में से केवल सात सीपीएसईज ने 2014-15 के दौरान ₹ 303.58 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था।

64 सीपीएसईज में से 28, जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2015 को ₹ 16,221 करोड़ थी। इसमें ₹ 2,769 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली पाँच सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल है। संभावित रूग्णता दर्शाते हुए 301 सीपीएसईज, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 24 सीपीएसईज की निवल संपत्ति 31 मार्च 2015 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 14,815 करोड़ के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन का मूल्य, कुल परिसम्पत्तियों तथा लगाई गई पूंजी को दर्शाने वाला सार चार्ट VII में दिया गया है:

चार्ट : VII

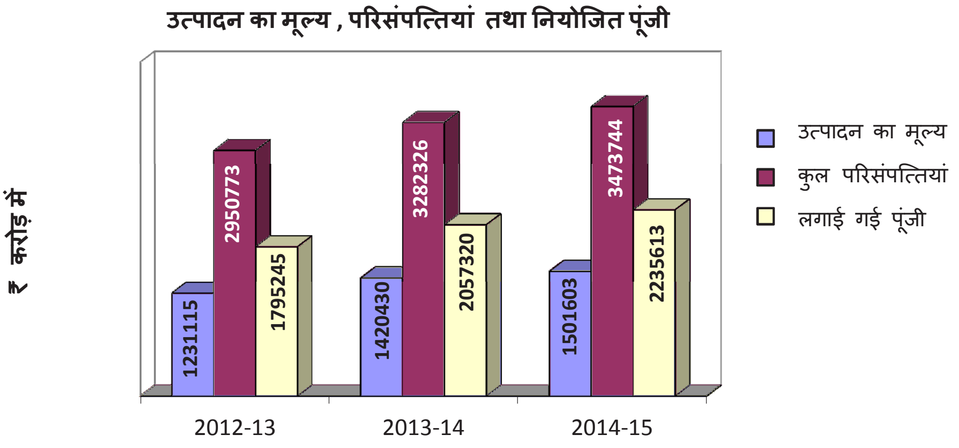

पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी।

1.5.2 बिक्री एवं विपणन

2014-15 के दौरान, 365 सीपीएसईज की कुल बिक्री ₹ 19,23,118 करोड़ थी। इनमें से 115 सीपीएसईज ने सरकारी क्षेत्रों को उनकी ₹ 9,63,841 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,64,920 करोड़ मूल्य की बिक्री की/ सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्रों को इन 115 सीपीएसईज की बिक्री की समग्र प्रतिशतता, उनकी कुल निवल बिक्रियों के संदर्भ में ₹ 27.49 प्रतिशत तक निकाली गई।

67 सीपीएसईज थे जिन्होंने ₹ 87,853 करोड़ मूल्य का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 11,40,976 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 7.70 प्रतिशत परिकल्पित किया गया। 365 सीपीईज द्वारा की गई ₹ 19,23,118 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 4.57 प्रतिशत थी। ₹ 5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज तालिका 1.16 में दी गई है :

तालिका 1.16: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	22790
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15423
3	भारत हैवी इलैक्टिकल्स लिमिटेड	12033
4	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	9109
5	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5015
जोड़		**64370**

इन पाँच सीपीएसईज की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसईज के कुल निर्यात का 73.27 प्रतिशत है।

1.5.3 अनुसंधान एवं विकास

निरन्तर वृद्धि के लिए विद्यमान उत्पादों को प्रोन्नत करने तथा नए उत्पाद, प्रक्रियाएं आदि विकसित करने के लिए प्रत्येक संगठन को अनुसंधान तथा विकास कार्यों को करना पड़ता हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, 53 सीपीएसईज़ ने अनुसंधान और विकास पर ₹ 3,548 करोड़ व्यय किए थे। सीपीएसईज़ जिन्होंने ₹ 100 करोड़ से अधिक के आर एंड डी व्यय किए थे, को तालिका 1.17 में दिया गया है:

तालिका 1.17: ₹ 100 करोड़ से अधिक के आर एंड डी व्यय वाले सीपीएसईज

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ के प्रति आर एंड डी व्यय की प्रतिशतता
1	हिन्दुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड	1047	2388	44
2	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	545	17733	3
3	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	511	1167	44
4	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	301	1419	21
5	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	263	5273	5
6	एनटीपीसी लिमिटेड	130	10291	1
7	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड	130	2733	5

1.6 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य, या ₹ 1,000 करोड़ के या अधिक की कुल बिक्री या ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कम्पनी तीन या अधिक निदेशकों वाले बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति बोर्ड बनाएगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होगे जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतन्त्र निदेशक होगा। इन कम्पनियों की एक सीएसआर नीति होगी तथा जो यह सुनिश्चित करेगी कि कम्पनी की सीएसआर नीति में शामिल कार्यकलापों को कम्पनी द्वारा किया जाएगा। इन कम्पनियों का बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी इसकी सीएसआर नीति के अनुरक्षण में औसत निवल लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च

करती है। यदि कम्पनी ऐसी राशि को खर्च करने में असफल हो जाती है तो बोर्ड कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (ओ) के अन्तर्गत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में राशि का खर्च न करने के कारणो का उल्लेख करेगा।

2014-15 के दौरान सीएसआर के प्रावधान 185 सीपीएसई पर लागू किए गए थे। इन 55 सीपीएसई की एक सीएसआर समिति नहीं थी या एक सीएसआर पालिसी नहीं थी। 185 सीपीएसईज जिन पर सीएसआर के प्रावधान लागू किए थे, में से 100 सीपीएसईज ने 2014-15 के दौरान लाभ अर्जित किया तथा पूर्व तीन वर्षों के दौरान औसत निवल लाभ खर्च किया था। इन 100 सीपीएसईज में से 64 ने सीएसआर कार्यकलापों के लिए चिन्हित की गई पूर्ण राशि खर्च की तथा 36 सीपीएसईज के पास ₹ 977 करोड़ की एक अव्ययित राशि थी जैसा कि ***परिशिष्ट - IV*** में वर्णित है। अव्ययित राशि के लिए बताए गए मुख्य कारणों में से एक यह था कि 2014-15 पहला वर्ष होने के कारण, सीएसआर कार्यकलापों के लिए परियोजनाओं को अभी तक पहचानना है।

1.7 सिफारिश:

- **प्रशासकीय मंत्रालय/विभाग सीपीएसईज जो लाभ अर्जित कर रहे है, को वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने के लिए जोर डाल सकते है।**

अध्याय 2

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। सीएजी के पास एक अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है तथा उस पर टिप्पणी जारी करता है या सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2. सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 तथा 145 के साथ पठित धारा 129 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रत्येक वर्ष आयोजित इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करने होते है।

> वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जून/जुलाई 2014 के दौरान की गई थी।

सिक्युरिटिज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान किया जाता है कि स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) को प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। एक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित समीक्षा तदनुसार की जानी है ताकि परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्यूएफआर बनवाकर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जून/जुलाई 2014 के दौरान वर्ष 2014-15 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए की गई थी।

2.3 सीपीएसईज द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी एजीएम के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों के विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्त विवरण उक्त एजीएम को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के साथ अननुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के लगाने का भी प्रावधान है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

564 कम्पनियों में से 77 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

31 मार्च 2015 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 390 सरकारी कम्पनियां तथा 174 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। जिनके वर्ष 2014-2015 के लेखे बकाया थे। 30 सितम्बर 2015 को या इससे पहले कुल 333 सरकारी कम्पनियों तथा 150 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 55 सरकारी कम्पनियों तथा 22 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं में ब्यौरा निम्नलिखित तालिका 2.1 में दिया गया हैं:

तालिका 2.1: सीपीएसईज के लेखाओं में बकाया का ब्यौरा

विवरण		सरकारी कम्पनी			सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियां			कुल		
		सूची-बद्ध	असूची-बद्ध	कुल	सूची-बद्ध	असूची-बद्ध	कुल	सूची-बद्ध	असूची-बद्ध	कुल
कम्पनियां जिनके 2014-15 के लेखे देय थे		51	339	**390**	8	166	**174**	59	505	**564**
कम्पनियां जिन्होंने 30 सितम्बर 2015 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए		50	283	**333**	8	142	**150**	58	425	**483**
लेखे प्रस्तुत नहीं किए[14]		-	2	**2**	-	2	**2**	-	4	**4**
बकाया में लेखे		1	54	**55**	-	22	**22**	1	76	**77**
बकाया का ब्रेक-अप	(i)परिसमापनाधीन	-	22	**22**	-	8	**8**	-	30	**30**
	(ii) समाप्त	-	3	**3**	-	6	**6**	-	9	**9**
	(iii) अन्य	1	29	**30**	-	8	**8**	1	37	**38**
'अन्य' वर्ग के प्रति बकाया का समय वार विश्लेषण	एक वर्ष (2014-15)	1	22	**23**	-	4	**4**	1	26	**27**
	दो वर्ष (2013-14 तथा 2014-15)	-	3	**3**	-	2	**2**	-	5	**5**
	तीन वर्ष तथा अधिक	-	4	**4**	-	2	**2**	-	6	**6**

इन कम्पनियों के नाम ***परिशिष्ट-II*** में दर्शाए गए हैं।

[14] उन कम्पनियों की संख्या जिन्होंने लेखे प्रस्तुत नही किए है वह हैं जिनके वर्ष 2014-15 के लिए पहले लेखे अभी प्राप्त किए जाने हैं, अतः उन्हें बकाया लेखों से अलग रखा गया है।

सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप इन इकाइयों में निवेशित सार्वजनिक धन के प्रबंधन के ऊपर संसदीय नियंत्रण की कमी और सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, चार के मामले में यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2014-15 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2015 तक प्रतीक्षित थे तथा सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मामले में, लेखें समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्नलिखित शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है।

- **कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना, और**
- **कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।**

2.4.3 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक आईसीएआई के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा

सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएजी द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक गहन नवीकृत, संकेन्द्रित और परिणामोन्मुखी पहुंच लागू की गई।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई है, की सूचना वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत दी जाती है।

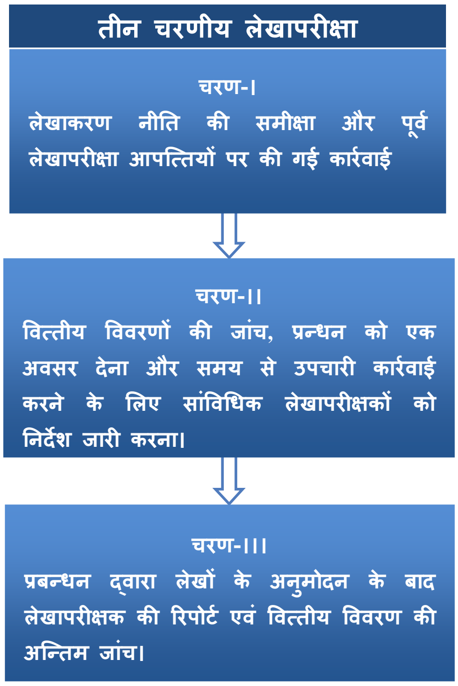

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने 'तीन चरणीय लेखापरीक्षा की प्रणाली' द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक गहन, नवीकृत, संकेन्द्रित तथा परिणामोन्मुख पहुंच प्रस्तुत किया है। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य के आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए "सूचीबद्ध", नवरत्न, "मिनीरत्न" और सांवधिक निगमों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चयनित सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लागू किया गया था:

- **सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी संप्रेषण और समन्वित पहुंच स्थापित करना।**
- **सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।**
- **सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।**

इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों के मद्देनजर लेखाओं में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन लाती है।

चरण-I और चरण-II कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के विस्तारित प्रावधान हैं। तीन चरणीय लेखापरीक्षा के प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आपत्तियां प्रारंभिक आपत्तियों के रूप में मानी जाती हैं और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेषित की जाती है। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण-III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

57 सीपीएसईज में की गई तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने वित्तीय विवरणों में सीपीएसईज द्वारा अनेक मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2014-15 के लिए इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन चार्ट VIII में दर्शाया गया है:

चार्ट VIII: 2014-15 के दौरान तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

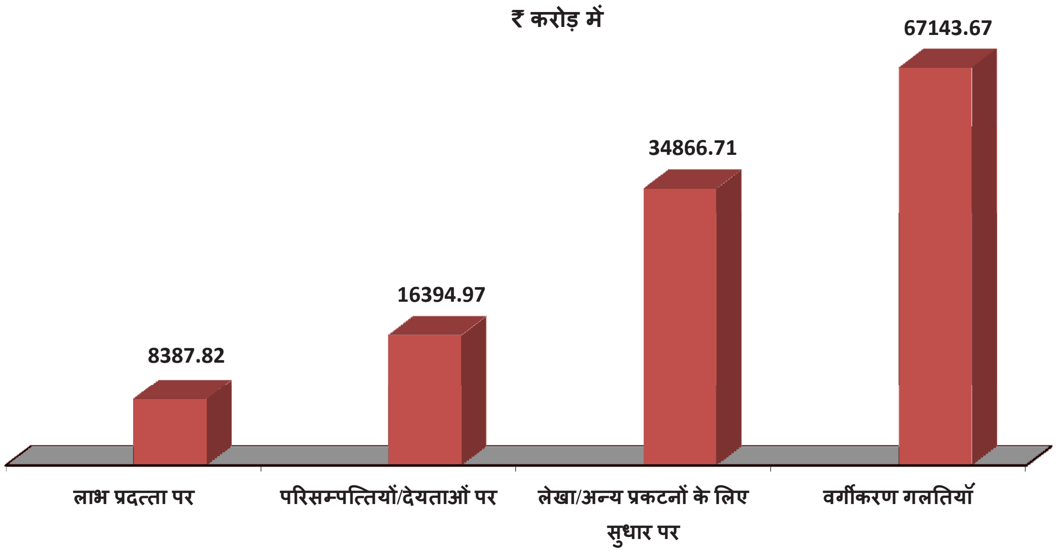

सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया उनको तालिका 2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2.	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
3.	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
4.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
5.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
6.	हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड
7.	एनएचपीसी लिमिटेड
8.	नोर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	एनटीपीसी लिमिटेड

10.	आयल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
11.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13.	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
15.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी ने वर्ष 2014-15 के लिए 277 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरण 333 सरकारी कम्पनियों (50 सूचीबद्ध कंपनियों सहित), 150 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (आठ सूचीबद्ध कंपनियों सहित) तथा पाँच सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2015 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 217 सरकारी कम्पनियों और 60 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सारांशतः, सीएजी ने 30 सितम्बर 2015 तक प्राप्त लेखाओं में से 65 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनियों और 40 *प्रतिशत* सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

- **सूचीबद्ध कंपनियाँ**

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

कंपनी का नाम	टिप्पणी
आईएफसीआई लिमिटेड	• अशोध्य और संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए अनुमति को ₹ 309.66 करोड़ तक कम बताया गया था। • मानक और संवीक्षात्मक परिसम्पत्तियों को ₹ 17.55 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

	• प्रचालनों से राजस्व को ₹ 5.54 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दूर संचार विभाग द्वारा उठाये गये देयों के अनन्तिम निर्धारण के प्रति ₹ 590.59 करोड़ तक लाइसेंस फीस कम बताई गई थी।
स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	निगमित सामाजिक उत्तर दायित्व गतिविधियों पर किये गये व्यय को शामिल न करने के कारण ₹ 35.04 करोड़ तक 'अन्य व्यय' को कम बताया गया था।
दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एएस-9 के प्रावधानों के उल्लंघन में ग्लोबल स्टील फीलीपाईंस इंक/ग्लोबल स्टील होल्डिंग्स लिमिटेड से वसूलीयोग्य बकाया प्राप्यों पर ब्याज के प्रति ₹ 203.61 करोड़ 'अन्य आय' में शामिल थे।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईटीआई लिमिटेड	कम्पनी तथा एचसीएल के बीच अनुबंध के अनुसार 'सशर्त प्रतिपूर्ति' के रूप में मै. एचसीएल इन्फोसिस्टमस लिमिटेड (एचसीएल) से वसूली योग्य राशि को शामिल करने के कारण लघु अवधि ऋण तथा अग्रिम ₹ 16.90 करोड़ तक अधिक बताए गए थे।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	लंबित भुगतान पर भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जारी किये गये बिलों पर सेनवेट से संबंधित ₹ 104.62 करोड़ तक उत्पाद शुल्क और बिक्री कर-सेनवेट क्रेडिट जमा अधिक बताया गया था।
स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	नंदिनी एयर-स्ट्रिप की स्थिति को सुधारने के लिए की गई रि-कॉर्पोटिंग और मरम्मत के प्रति ₹ 7.79 करोड़ का किया गया व्यय मूर्त परिसम्पत्तियों में शामिल था।
दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• कारोबार प्राप्तियोग्य में निर्यात किये गए इस्पात स्लैब के कारण ग्लोबल स्टील फिलीपींस इंक/ग्लोबल स्टील होल्डिंगस लिमिटेड से वसूली योग्य ₹ 1640.53 करोड़ शामिल थे। • पुन: मूल्यांकन आरक्षित निधि में जवाहर व्यापार भवन और एसटीसी हाऊसिंग कॉलोनी में पट्टे वाली भूमि के संबंध में सृजित आरक्षित निधि के प्रति मूल्यांकन में ₹ 547.29 करोड़ शामिल थे। पट्टेवाली भूमि के स्पष्ट शीर्षक और पट्टादाता की लिखित सहमति के अभाव में किया गया पुन: मूल्यांकन ठीक नहीं था।

प्रकटन पर टिप्पणियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईएफसीआई लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के पैरा 1 (i) में यथा अपेक्षित ₹ 37.35 करोड़ के अल्प ब्याज राशि को आरोप्य लाभ का भाग दिखाने में विफल रही।
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अपने संयुक्त उद्यम (जेवी) अर्थात् नेशनल हाईपावर टैस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड (एनएचपीटीपीएल) का एक भाग जेवी अनुबंध के अनुसार 20 *प्रतिशत* शेयर धारिता के आधार पर समेकित किया गया था। तथापि, एनएचपीटीपीएल में कंपनी का शेयर धारिता भाग जेवी भागीदारों में से एक के द्वारा अपेक्षित शेयर पूंजी के अंशदान न करने के कारण 21.64 *प्रतिशत* रहा। यह लेखा टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया था।

❖ **असूचीबद्ध कंपनियां**

लाभप्रदता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आर्टिफिशल लिंबस मैन्यु फैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कर्मचारियों को देय उपदान और अवकाश नकदीकरण के कारण 31 मार्च 2015 तक देयता में कमी को कंपनी द्वारा समायोजित/लेखांकित नहीं किया गया था।
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	• कर के बाद हानि को अर्जित ब्याज और स्रोत पर कर कटौती की गई राशि सहित बेहिसाब सावधि जमा की पहचान के कारण ₹ 11.81 करोड़ तक कम बताया गया था। • ₹ 1.05 करोड़ तक की पुष्टि की गई देयता को आकस्मिक देयता के रूप में लेखा में लिया गया था।
हिंदूस्तान साल्ट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी सांभर साल्ट्स लिमिटेड से दाण्डिक प्राप्य ब्याज को ध्यान में न रखने के कारण अल्प कालिक ऋणों और अग्रिमों को ₹ 1.43 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
आईएफसीआई वेंचर केपीटल फंड लिमिटेड	• मै. मार्ग लिमिटेड और मै. नकोडा लिमिटेड के उपमानक अल्प कालिक ऋण पर अर्जित ब्याज के प्रति प्रचालनों से राजस्व में ₹ 2.17 करोड़ शामिल थे, जो आरबीआई प्रतिमानों के अनुसार नहीं थे। • पुन: मानक ऋण तैयार किये जाने के रूप में गलत तरह से वर्गीकृत मै. मार्ग लिमिटेड के अल्प कालिक ऋण के संबंध में कम प्रावधान होने की वजह से अन्य व्यय में ₹ 0.87 करोड़ शामिल नहीं किया गया।

	• मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत मै. नाकोड़ लिमिटेड के लिए बकाया ऋण (₹ 6.21 करोड़) के प्रति आरबीआई प्रतिमानों के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
आईएफआईएन सिक्योरिटिज़ फाइनेंस लिमिटेड	जायलॉग ग्रुप के अग्रिम के प्रति किये गये कम प्रावधान के कारण अल्पकालिक प्रावधानों को ₹ 6.73 करोड़ तक कम बताया गया था क्योंकि सुरक्षित ऋण के लिए उपहार विलेख रेहनदारी नकली पाई गई थी।
इंडिया इंफ्रास्टैक्चर फाईनेंस कंपनी लिमिटेड	इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड से संबंधित ऋण परिसम्पत्ति को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के स्थान पर मानक परिसंपत्ति के रूप में सही रूप से नहीं आंका गया था।
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2012-13)	•उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलान के अनुसार देय विद्युत प्रभारों के प्रति अन्य दीर्घावधि देयताओं में ₹ 117.18 करोड़ शामिल नहीं थे। •सीआईएसएफ को देय ब्याज के प्रति ₹ 16.25 करोड़ हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	इरेडा के आदेश की सहमति से इंडियन मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल के विखण्डित होने के कारण उपलब्ध कराये गये विगत आईबीएनआर दावों के प्रतिलेखन के कारण कर के बाद लाभ ₹ 455.35 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
नेशनल प्रोजैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	सेवाकर भुगतान के विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित 'अधियोग व्यय' में ₹ 7.23 करोड़ शामिल थे।
नेशनल वक्फ डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	प्रशासनिक व्यय के प्रति स्टेट वकफ बार्ड को हस्तांतरित कुल निधियों के पांच *प्रतिशत* के प्रति 10 *प्रतिशत* की दर पर आय स्वीकार करने के कारण प्रचालनों से राजस्व अधिक बताया गया था।
नेपा लिमिटेड	गलत मूल्यांकन के कारण, तैयार माल की माल सूची को अधिक बताया गया था।
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	संयुक्त उद्यम मै. एल एंड टीएसएसएचएफ में ₹ 147.32 करोड़ के निवेश के मूल्य में 100 *प्रतिशत* कमी का प्रावधान 'असाधारण मद' के बजाय 'प्रशासनिक एवं अन्य व्यय' में शामिल था।
पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड	एक स्वतन्त्र संचारण परियोजना अर्थात विशेष उद्देश्य साधन जो कि मानक बोली दस्तावेजों के उल्लंघन में था जैसे संबंधित बोली प्रसंस्करण समन्वयक की क्षमता में कम्पनी द्वारा प्राप्त 'प्रस्ताव के

	लिए अनुरोध' दस्तावेजों की बिक्री प्राप्तियों के कारण ₹ 0.30 करोड़ अन्य परिचालन आय में शामिल था।
सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड	मूल कम्पनी हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड को देय दाण्डिक ब्याज को ध्यान में न रखने के कारण दीर्घावधि उधार राशि ₹ 1.43 करोड़ तक कम बताई गई थी।
सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• सितम्बर 2013 में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद गवर्नर के हस्ताक्षर वाले 2014 में मुद्रित 226.48 मिलियन बैंक नोटों के टुकड़ों और जिन्हें आरबीआई द्वारा नहीं लिया गया था के प्रति ₹ 36.69 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। • 2014-15 के समझौता ज्ञापन में अपनाई गई बिक्री दरों के बजाय 2012-13 वर्ष के लिए लागत लेखांकन शाखा द्वारा अन्तिम रूप दी गई दरों के आधार पर सिक्कों की बिक्री से राजस्व की स्वीकृति के कारण वर्ष के लिए हानि को ₹ 199.65 करोड़ तक कम बताया गया था।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा इक्विटी में रूपांतरण के लिए अनुमोदित ऋणों पर बकाया और दाण्डिक ब्याज के प्रति दीर्घकालिक उधार में ₹ 52.13 करोड़ शामिल था।
भारत बॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	'अन्य के अग्रिम' को वर्ष 2014-15 के लिए श्रम शक्ति को भाड़े पर लेने के लिए एनआईसीएसआई को प्रदत्त राशि का प्रावधान न करने के कारण अधिक बताया गया था।
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कम्पनी लिमिटेड	ब्याज प्रभारों के प्रति रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा उदभूत ₹ 3.38 करोड़ के दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
हिंदुस्तान प्रिफैब लिमिटेड	• ₹ 10.64 करोड़ के विविध लेनदारों के डेबिट शेष को घटाने के बाद व्यापार देय निकाले गए थे। • प्रतिभूति जमा की गैर-चालू देयताओं और बयाना राशि के समावेशन के कारण अन्य चालू देयताओं को ₹ 13.77 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	कम्पनी ने भारत सरकार से मशीनरी के पुन:नवीकरण और प्रतिस्थापन एवं अवसंरचना योजना के लिए ₹ 457.36 करोड़ प्राप्त किए थे। अप्रयुक्त

	निधियों पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को क्रेडिट किया जाना था। कम्पनी ने सावधि जमा में अनप्रयुक्त राशि का निवेश किया और विभिन्न कार्यचालन पूँजीगत आवश्यकताओं के लिए ₹ 361.79 करोड़ का विपथन किया जिसकी ₹ 175.86 करोड़ की पुन: पूर्ति की गई थी। ₹ 9.27 करोड़ के काल्पनिक ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसे कम्पनी द्वारा विपथित निधियों पर अर्जित किया जाएगा।
कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम कर के विलम्बित भुगतान पर देय ₹ 0.74 करोड़ का ब्याज 'वित्त लागत' के बजाए 'चालू कर' में शामिल किया गया था।
नबीनगर पावर जेनेरटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	• ₹ 0.84 करोड़ के रूप में प्रमाणित देय पूँजीगत देयता को त्रुटिवश ₹ 8.40 करोड़ के रूप में लेखांकित किया गया था। • मै. गेनन डंकरेली एंड कम्पनी लिमिटेड को ठेके के संबंध में देय पूँजीगत व्यय ₹ 4.35 करोड़ तक अधिक बुक कर दिया गया था। • मै. एब्सयूट प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड को दिए गए ठेके के संबंध में 'अन्य चालू देयताओं' को ₹ 0.28 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• 'सुरक्षा जमा' को 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम' के स्थान पर 'अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों' के अन्तर्गत दर्शाया गया था। • अन्य पक्ष को गिरवी सावधि जमा प्राप्तियों के संबंध में नकद एवं नकद के समकक्ष को ₹ 34.68 करोड़ तक अधिक बताया गया था। • माननीय जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश, लुंगी के दिनांक 16 फरवरी 2015 के निर्णय के अनुपालन में जमीन मालिकों को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
एनआईसीएस आईएनसी.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान पर प्रतिधारित अर्जित ब्याज आय के प्रति 'अन्य आय (ब्याज आय)' को ₹ 13.87 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
पीईसी लिमिटेड	ऋण एवं अग्रिम में मै. व्हाइटफील्ड को चावल के भण्डारण के लिए कारोबारी वित्तपोषण के प्रति प्रदान किए गए अग्रिम के प्रति ₹ 7.58 करोड़ शामिल था, जिसकी मौजूदगी को सिद्ध नहीं किया जा सका।

प्रकटन पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	पूँजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके की प्राक्कलित और प्रदान न की गई राशि को मै. केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शेष आपूर्ति एवं सेवा ठेकाओं के प्रति मूल्य अंतर के कारण ₹ 11.08 करोड़ शामिल नहीं की गई।
हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	तथ्य यह है कि (i) खारघोड़ा में 23569 एकड़ भूमि पर गुजरात सरकार के साथ विवाद चल रहा था और (ii) गूमा में 74.086 एकड़ भूमि को मंडी, हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के अभिलेखों में कम्पनी के नाम में अभी भी बदला जाना था, का भी समुचित रूप से प्रकटन नहीं किया गया था।
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	दिनांक 23 मार्च 2015 की ₹ 64.44 करोड़ की आयकर मांग को आकस्मिक देयता के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था।
राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	कम्पनी के रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में पंजीकरण हेतु वित्तीय पुनर्गठन और औद्योगिक बोर्ड को संदर्भ किया गया था क्योंकि संचित हानि इसकी निवल सम्पत्ति से अधिक हो गई थी और इसके पुनरूत्थान के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता थी। इसका प्रकटन नहीं किया गया था।
सांभर साल्ट्स लिमिटेड	तथ्य/सूचना कि (i) 2648 एकड़ भूमि अधिग्रहीत/विवाद के अन्तर्गत थी (ii) 58.24 एकड़ विवादित भूमि जो अन्य के नाम थी, कम्पनी के अधिकार के अन्तर्गत थी (iii) कम्पनी द्वारा राजस्थान सरकार के साथ 57600 एकड़ भूमि के संबंध में किसी पट्टानामा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे (iv) अतिक्रमित भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य तुलन-पत्र तिथि को उपयुक्त रूप से प्रकटित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
डीजीईएन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	अवलोकन किया गया कि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा आबंटित एवं व्यय किए गए के रूप में श्रमबल एवं अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय से संबंधित व्यय न तो सीधे सामान्य रूप से स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए आरोप्य थे और न ही सामान्यत: विनिर्माण गतिविधि के लिए आरोप्य बताए जा सके; क्योंकि निर्माण अभी शुरू

	होना था, सही नहीं था क्योंकि व्यय पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा विशेष उद्देश्य इकाई के रूप में बनाई गई कम्पनी द्वारा निष्पादित की जाने वाली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए विशेष रूप से आरोप्य था। ये व्यय संबंधित बोलीदाता से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड. द्वारा वसूली योग्य थे जिसे कम्पनी बोलीदाता के चयन पर स्थानांतरित कर देगी।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अवलोकन किया गया कि कम्पनी ने एनएचबी प्रतिमानों से परे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए ₹ 170 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान सृजित किया था, वह त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह लेखापरीक्षा 705 पर मानक की आवश्यकता के विपरीत इस अर्हता के पर्याप्त कारणों के अभिलेखित किए बिना वित्तीय विवरणों में दिए गए व्याख्यात्मक टिप्पणियों (टिप्पणी 26) के बिन्दु 25 की मात्र पुनरावृत्ति थी। इसके अलावा, 2014-15 में अपनाई गई इसकी लेखांकन नीति के अनुसार कम्पनी द्वारा अतिरिक्त प्रावधान किया गया था जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत सहमति दी गई थी।

❖ **असूचीबद्ध सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**

लाभकारिता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	कम्पनी ने लाभ एवं हानि विवरण के लिए कम्पनी द्वारा गैर धारित परिसंपत्तियों पर ₹ 2.28 करोड़ का कुल व्यय प्रभारित किया था जिसे आगे 'निर्माण के दौरान व्यय' के रूप में प्रगतिशील कार्य पूँजी में अन्तरित कर दिया गया था।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को देय ₹ 2.67 करोड़ की परामर्श फीस को अन्य चालू देयताओं के बजाए व्यापार देय के रूप में दर्शाया गया था।

प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड	2015-16 में दिए गए ठेके के संबंध में ₹ 4.66 करोड़ के शामिल करने के कारण पूँजीगत प्रतिबद्धता अधिक बतायी गई थी।

नेशनल हार्ड पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	• पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई परियोजना निष्पादन के प्रति पूँजीगत प्रतिबद्धता के गलत शामिल करने के कारण पूँजीगत प्रतिबद्धता ₹ 8.51 करोड़ तक कम बताई गई थी। • आयकर विभाग द्वारा उदभूत की गई ₹ 0.49 करोड़ की मांग को आकस्मिक देयताओं में शामिल नहीं किया गया।

❖ सांविधिक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(i) उचित बहियों और प्राधिकरण द्वारा अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित गंभीर रिजर्वेशन के कारण, लेखापरीक्षा यह मत बनाने में असमर्थ था कि क्या एनएचएआई के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष राय दृष्टिकोण देते है; जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क. ₹ 140797.31 करोड़ की प्रगतिशील पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी) में एनएचएआई द्वारा चल रही राजमार्ग परियोजनाओं के साथ-साथ समाप्त हुई परियोजनाओं पर किए गए व्यय को शामिल किया गया था। एक ओर एनएचएआई ने तर्क दिया कि भारत सरकार जहां इन सड़कों की मालिक थी, वहाँ दूसरी ओर तुलन-पत्र में इनको एनएचआईए की स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जा रहा था।

ख. उपरोक्त धनराशि का चालू एवं समाप्त परियोजनाओं पर व्यय के परियोजनावार ब्यौरे के अभाव में सत्यापन नहीं किया जा सका।

ग. सीडब्ल्यूआईपी के तहत बुक किए गए वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 1780.87 करोड़ की उधारी लागत की पूरी राशि को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और एनएचएआई की लेखांकन नीति सं. 6.2 के विपरीत भी पूरी की गई परियोजनाओं से संबंधित उधारी लागत में शामिल कर लिया गया था।

घ. सीडब्लयूआईपी को ₹ 206.43 करोड़ राशि की 'वर्ष हेतु निवल स्थापित व्यय' का आवंटन भी सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के विपरीत था क्योंकि यह राजस्व व्यय था और पूरी राशि सीडब्ल्यूआईपी को आवंटित नहीं की जानी चाहिए थी। पूरी की गई परियोजनाओं से संबंधित आनुपातिक राशि सीडब्ल्यूआईपी का भाग नहीं थी और इसे पूँजीकृत नहीं होना चाहिए था। व्यय के परियोजनावार ब्यौरे के अभाव में लेखापरीक्षा ऐसी गलत बुकिंग के प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ रहा।

ङ. प्रगतिशील पूँजी में प्राधिकरण द्वारा 16 सड़क परियोजनाओं द्वारा किया गया ₹ 10941.71 करोड़ शामिल था। जिसे बीओटी आधार पर 6-लेन सड़क के उन्नयन हेतु रियायतग्राहियों को टोलिंग अधिकारों सहित सौंप दिया गया था। इसी प्रकार, पांच अन्य सड़क परियोजनाओं को राज्य सरकारों को हस्तातंरित कर दिया गया था। यद्यपि ये परियोजनायें एनएचएआई के साथ विद्यमान नहीं थी, फिर भी लेखाओं में कोई समायोजन नहीं किया गया था।

(ii) सीडब्ल्यूआईपी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सलाह पर एनएचडीपी चरण-IV परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को एनएचएआई द्वारा निर्मुक्त किया गया ₹ 1155.98 करोड़ शामिल था।

(iii) पूँजीगत लाभ करमुक्त बांड-54ईसी (₹ 9187.60 करोड़), करमुक्त विमोच्य गैर परिवर्तक बांड (₹ 15000 करोड़) और एडीबी से ऋण (₹ 705.25 करोड़) के बांड धारकों को देय के रूप में दर्शाई गई ₹ 24892.85 करोड़ की राशि के लिए एनएचएआई नियमावली 1990 के नियम 9 के अनुसार कोई आरक्षित निधि नहीं बनाई गई थी।

(iv) ₹ 86.03 करोड़ की राशि में बैंक गारंटी की नकदी वापसी, हर्जाने, कार्यक्षेत्र एवं वार्षिकी के नकारात्मक परिवर्तन के कारण ठेकेदार/रियायतग्राहियों से एनएचएआई द्वारा संग्रहीत/प्राप्त राशि दर्शाई गई थी। इन राशियों को इसकी प्रकृति की पहचान किए बिना पूँजीगत आरक्षित निधि के रूप में बुक किया गया था।

(v) नौ सहायक कंपनियों को वितरित ऋण पर उपार्जित ब्याज के प्रति अनप्रयुक्त पूँजी पर ब्याज में ₹ 152.39 करोड़ शामिल था। इस ब्याज आय की पीएण्डएल खाते में आय के रूप में दर्शाने की बजाए सीडब्ल्यूआईपी से कटौती की गई थी।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष हेतु ₹ 152.39 करोड़ तक वर्ष के लिए आय और सीडब्ल्यूआईपी को कम बताया गया है।

(vi) एनएचआईए ने अपनी दो सहायक कम्पनियों अर्थात, मै. मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड और मै. अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस वे कम्पनी लिमिटेड में ₹ 345.21 करोड़ का निवेश किया। सड़क परियोजना और टोल संग्रहण अधिकार को क्रमश: दिसम्बर 2010 और जनवरी 2013 में अद्यतन हेतु रियायतग्राहियों को सौंप दिया गया था, लेकिन निवेश के मूल्य में ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने छ: सहायक कम्पनियों अर्थात् विशाखापट्टनम पोर्ट रोड कम्पनी लि., कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लि., पारादीप पोर्ट कं. लि., न्यू मैंग्लोर पोर्ट रोड कम्पनी लि., कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कम्पनी लि. और तूतीकोरीन पोर्ट रोड कम्पनी लि. में ₹ 642.39 करोड़ का निवेश किया (शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सहित)। शेयर पूँजी में 33.92 प्रतिशत से 155.56 प्रतिशत तक संचित हानियों के कारण, इसके परिणामस्वरूप उनके निवलधन का क्षरण हुआ जिसके लिए लेखांकन मानक-13 के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(vii) सहायक कंपनियों को ऋण में इन दो सहायक कंपनियों अर्थात् मै. मुरादाबाद टोल रोड कंपनी लिमिटेड एवं मै. अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस वे कम्पनी लि. को दिया गया ₹ 71.49 करोड़ का ऋण शामिल था। चूँकि सड़क परियोजनाओं के साथ-साथ टोल संग्रहण का अधिकार रियायतग्राहियों को सौंप दिए गए थे और इन दो कंपनियों तक बंद करने का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा पहले ही लिया जा चुका था, इसलिए ऋण की वसूली की कोई संभावना नहीं थी जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(viii) (क) भारत सरकार को देय रियायत फीस टोल प्रेषण, हर्जाने, कार्यक्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन, राजमार्ग परियोजना की लंबाई में वृद्धि के कारण प्रयोक्ता फीस में वृद्धि के कारण रियायतग्राही (ख) बांडों के विमोचन हेतु प्रदान की गई सेवाओं के कारण आईडीबीआई बैंक और (ग) रोहतक, अलीगढ़, ग्वालियर, अजमेर, नरसिंहपुर और कानपुर के पीआईयूज के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए बांड पर वार्षिक ब्याज भुगतान से वसूलीयोग्य दावा के शामिल न करने के कारण वसूलीयोग्य दावे को ₹ 56.65 करोड़ तक कम बताया गया था।

(ix) वर्ष 2014-15 के दौरान एनएचएआई बैंक खाते में ठेकेदार द्वारा सीधा जमा की गई निष्पादन सुरक्षा और एनएचएआई द्वारा बैंक गारंटी भुनाने के कारण बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि का लेखांकन न करने के कारण नकद एवं बैंक शेष ₹ 40.13 करोड़ तक कम बताया गया था।

(x) सीएएलए मांग, देय सकारात्मक अनुदान, किया गया एवं प्रमाणित निर्माण कार्य, रक्षा प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण मांग, बीएसओक्यू में अंतर हेतु ब्याज देय बिल आदि के कारण देयता के गैर/कम प्रावधान के कारण अन्य देयताओं को ₹ 791.02 करोड़ तक कम बताया गया था।

(xi) प्राधिकरण के नोट सं. 24 द्वारा लेखा टिप्पणियों में यह बताया गया है कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस 15, 17 और 21 को छोड़कर) का सामान्यतया पालन किया जा रहा है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति का भी यह मत है कि एनएचएआई को अपने वित्तीय विवरण बनाने में लेखांकन मानकों को लागू करना उपयुक्त होगा।

तथापि, जैसा कि पिछले पैराग्राफों में चर्चा की गई है, प्राधिकरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों एवं निर्देशों के प्रावधानों से विचलत हुआ है।

(xii) विभिन्न विभागों/एजेंसियों को दिया गया ₹ 158.86 करोड़ राशि का जमा कार्य के लिए अग्रिम 03 से 12 वर्षों तक के बही खातों में बिना मिलान किए पड़े हैं।

(xiii) लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर प्राधिकरण ने लेखाओं में ₹ 298 करोड़ तक की सीमा तक संशोधन किए थे, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर शीर्ष		अंतर शीर्ष	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
परिसंपत्तियां	146.66	5.40	-	-
देयतायें	2.34	143.60	-	-
लाभ एवं हानि लेखे	-	-	-	-
कुल	**149.00**	**149.00**	-	-

(2) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डीआईएएल) और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (एमआईएएल) और उनके संयुक्त उद्यम के मूल अभिलेख

तथा प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार (ओएमडीए) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्राधिकरण) के तदनुरूपी शेयर तथा डीआईएएल एवं एमआईएएल के कुल राजस्व का सत्यापन करने के लिए डीआईएएल एवं एमआईएएल के निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त न करने संबंधी आरक्षणों के अध्यधीन, प्राधिकरण के तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई सभी सूचना, स्पष्टीकरण के आधार पर की गई थी।

(i) आरक्षित निधि एवं अधिशेष में 30 मार्च 2015 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी ₹ 14.10 करोड़ की राशि का अनुदान शामिल नहीं था।

(ii) वीआईएसएफ भुगतानों, वसूलीयोग्य विवादित राशि, देय संपत्ति कर, पीआरपी व्यय पर आयकर एवं आईएटीए को भुगतान के कारण देयता के कम/गैर प्रावधान के कारण चालू देयताओं को ₹ 55.74 करोड़ तक कम बताया गया था।

(iii) चालू देयताओं में 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान एअर इंडिया द्वारा मंजूरी प्राप्यों पर देय ₹ 29.95 करोड़ की सेवाकर की न्यूनतम राशि के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं था।

(iv) तीन लाभ केंद्रों में सिविल कार्य/परिसंपत्तियों के गैर-पूँजीकरण के कारण मूर्त स्थाई परिसंपत्तियों को ₹ 9.40 करोड़ तक कम बताया गया था।

(v) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना करते समय ₹ 618.46 करोड़ की सेवा-निवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान, जिसका अभी अनुमोदन किया जाना था, को शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसम्पत्तियो कों ₹ 210.21 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

(vi) प्राधिकरण की लेखांकन नीति के अनुसार, आयकर के लिए प्रावधान को आईटीएटी (अपील) से अंतिम आदेश प्राप्त होने पर अग्रिम कर एवं टीडीएस के प्रति समायोजित कर दिया गया था। प्राधिकरण ने संबंधित वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान के प्रति निर्धारण वर्ष 2010-11 तक अग्रिम कर एवं टीडीएस का समायोजन कर दिया था। तथापि, प्राधिकरण ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए बहियों में दर्शाए गए टीडीएस शेष का मिलान नहीं किया था।

(vii) आय में वर्ष 2014-15 के लिए डीआईएएल (₹ 1967.81 करोड़) और एमआईएएल (₹ 929.31 करोड़) से विमानपत्तन पट्टा राजस्व शामिल था। डीआईएएल एवं एमआईएएल के साथ दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों के प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए गए प्रचालन प्रबंधन एवं विकास करार के खण्ड 1.1 के अनुसार, जेवीसी को एएआई के साथ कर पूर्व अपने सकल राजस्व के साथ साझा (डीआईएएल - 45.99 प्रतिशत और एमआईएएल - 38.70 प्रतिशत) करना अपेक्षित था। प्राधिकरण के साथ साझा किए गए राजस्व की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ओएमडीए के खण्ड 11.2 के अनुसार डीआईएएल/एमआईएएल एवं प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई थी जो प्राधिकरण के साथ इन जेवीसी द्वारा साझा किए जाने वाले राजस्व का सत्यापन करता है।

वर्ष 2013-14 और जून 2014 तक के लिए डीआईएएल की स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षक रिपोर्ट में परावर्तित के अनुसार, स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षकों ने यह मान लिया था कि गैर-वैमानिक सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिये गठित जेवी के वित्तीय विवरणों को सत्यापित नहीं किया गया था क्योकि उन्हें वे प्रस्तुत नहीं किये गये थे। उन्होंने यह भी बताया कि न तो इन जेवी के वित्तीय विवरणों को और न ही इन जेवी के बही खातों को उन्हें उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि प्राधिकरण अपने बही खाता में इन जेवीसी से अर्जित होने वाले एयरपोर्ट पट्टा राजस्व को लेखा में लेने के लिये पूर्ण रूप से राजस्व लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (त्रैमासिक) पर निर्भर था और प्राधिकरण एयरपोर्ट पट्टा राजस्व गणना की यर्थाथता स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण इन जेवी और ओएमडीए के अनुसार प्राधिकरण को हस्तांतरित राजस्व के शेयर से डीआईएएल और एमआईएएल को प्राप्त राजस्व की यथार्थता सत्यापित करने के लिये लेखापरीक्षा को कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका था। सुसंगत अभिलेखों के अभाव के कारण बही खाते में दिखाये गये ₹ 2897.12 करोड़ के एयरपोर्ट पट्टा राजस्व की यथार्थता पर ध्यान नहीं दिया जा सका।

(3) इनलैण्ड वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ इण्डिया

प्राधिकरण के संशोधित लेखा प्रारूप के अनुसार, जिसका अनुमोदन जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने पत्र सं. जी 25020/1/2004-आईडब्ल्यूटी, दिनांक 28/02/05 द्वारा किया गया था, प्राधिकरण को अपने लेखाओं में शामिल करना था:

- फार्म सी3 में नीति विवरण कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुमोदित सभी सुसंगत लेखांकन मानकों को ध्यान में रखते हुए लेखे तैयार किए जा रहे हैं।
- सदस्य के जिम्मेदारी विवरण के बारे में लेखाओं में टिप्पणी।

प्राधिकरण को निगम सुशासन के उपाय के रूप में कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एक लेखापरीक्षा समिति भी बनाना आवश्यक था।

प्राधिकरण प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर प्रबंधन ने ₹ 107.34 करोड़ तक की सीमा तक लेखाओं में सुधार किया जिसका विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वृद्धि	कमी
परिसंपत्तियां	36.65	53.39
देयताएं	-	0.22
व्यय	16.80	0.06
आय	0.22	-

2.6 लेखांकन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम 2013 धारा की 129 (1) और धारा 133 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा यथा प्रस्तुत लेखाकंन मानक 1 से 7 और 9 से 29 का नियम निर्धारित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि ***परिशिष्ट- V*** में ब्यौराबद्ध 31 कम्पनियां अनिवार्य लेखाकंन मानकों से विचलित हुई।

तथापि, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखाकंन मानकों का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
एएस-3 नकद प्रवाह विवरण	अरावली पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	यह तथ्य कि फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रिजर्व से संबंधित ₹ 3.65 करोड़ के सावधि जमा और बैंक द्वारा जारी साख पत्र के कारण ₹ 2.70 करोड़ को 'रोकड और बैंक शेषों' में शामिल किया गया था, जो उपयोग हेतु आसानी से उपलब्ध नहीं थे के बारे में प्रकटित नहीं किया गया था।
	आईएफसीआई वेन्चर केपिटल फंड लिमिटेड	कम्पनी ने न तो नकदी और नकदी बराबर के संघटकों को प्रकटित किया था और न ही नकद और नकदी बराबर के संघटकों के निर्धारण के लिए कोई लेखांकन नीति निर्धारित की।
	आईएफआईएन सिक्यूरिटिज़ फाइनेंस लिमिटेड	
	आईएफआईएन कोमोडिटिज लिमिटेड	
एएस-5 अवधि के लिए निवल लाभ और हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड	₹ 18.20 करोड़ तक की पूर्व अवधि मदें राशि की 'अन्य आय' के तहत दर्शायी गई थी।
	चंडीगढ़ शेडयूल कास्ट फाइनेंशियल एडं डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (2012-13)	अशोध्य और संदिग्ध ऋण और रीलिफ एण्ड कामन गुड़ फन्ड के लिए आरक्षित निधि के लिए रिजर्व निधि की राशि को अपवादात्मक मदों के रूप में दर्शाया गया था।
	फ्रेश एडं हेल्दी एंटरप्राइसेस लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव को प्रकटित नहीं किया गया था।
	कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिकतम उपयोगी जीवन काल के

		आधार पर मूल्यह्रास दरों के संशोधन के प्रभाव को प्रकटित नहीं किया गया था।
	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	फिल्मस के प्रोडक्शन तथा टेलिविजन सीरियलों/प्राप्त हुए कार्यक्रमों के प्रोडक्शन की लागत के निरूपण के सदंर्भ में लेखाकंन नीतियों में परिवर्तन के कारण प्रभाव को प्रकटित नहीं किया गया था।
एएस-9 राजस्व मान्यता	नेशनल टेक्सटाइल कम्पनी लिमिटेड	कम्पनी ने ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन को दिए गए ऋण पर ₹ 21.94 करोड़ के ब्याज को स्वीकार किया जबकि कपड़ा मंत्रालय से कोई बजटीय सहायता नहीं थी।
एएस-10 स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए लेखांकन	एनएचपीसी लिमिटेड	कम्पनी के स्वामित्व में न आने वाली परिसम्पत्तियों को समर्थ बनाने में किए गए ₹ 173.61 करोड़ के व्यय को निर्माण कार्य के दौरान व्यय में प्रभारित किया गया था और प्रगति पर पूंजीगत कार्य पूजीगत में हस्तांतरित किया गया था।
	एनटीपीसी लिमिटेड	कम्पनी ने उन परिसम्पत्तियों पर ₹ 167.99 करोड़ की पूंजी का व्यय किया जिनका कम्पनी द्वारा मूर्त परिसम्पत्तियों और प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत स्वामित्व प्राप्त नहीं किया गया था।
एएस-12 सरकारी अनुदानों का लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	औद्योगिक विकास को प्रात्साहित करने वाले कार्यकलापों के लिए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त पूंजीगत प्रकृति का होने के बावजूद सामान्य रिजर्व में ₹ 184.48 करोड़ शामिल था जिसें भारत सरकार द्वारा के एफडब्ल्यू ऋण के तहत प्राप्त हुए अनुदान के अन्तरित किया गया था।
	इंडियन ड्रग्स एडं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2012-13)	सरकारी अनुदानों के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति को भी प्रकटित नहीं किया गया था।
एएस-13 निवेश के लिए लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	कम्पनी ने इक्विटी शेयरों के मूल्य में ह्रास के प्रति प्रावधान के लिए एक नीति बनाई जिसके अनुसार कोई ह्रास प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी जब तक कि पुनः क्रय व्यवस्था में कोई चूक न हो और अनुद्दत इक्विटी को अंकित मूल्य में कमी 75 प्रतिशत से अधिक हो। इस नीति के परिणामस्वरूप कम्पनी ने निवल सम्पत्ति

		के क्षरण, निरन्तर नकद हानियों, नकारात्मक अर्जनों, संचित हानियों और निवेशक कम्पनियों द्वारा वापसी खरीद की वचनबद्धताओं में कोई वापसी खरीद वचनबद्धता/चूक न होने के बावजूद छः कम्पनियों के सम्बंध में ₹ 734.31 करोड़ के दीर्घावधि निवेश के प्रति कोई प्रावधान/अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया।
	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2012-13)	तीन सहायक/संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश के मूल्य में स्थायी गिरावट के बावजूद कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
एएस-15 कर्मचारी लाभ	राजस्थान ड्रग्स एडं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	कार्मिक लाभ व्यय में कार्मिकों के क्रेडिट पर एकत्रित अर्द्ध वेतन/अस्वस्थता अवकाश को शामिल नहीं किया गया था।
एएस-18 संबंधित पार्टी	सीमेंट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	कम्पनी ने मुख्य प्रबन्धन कार्मिकों के नाम, प्रदत्त परिश्रमिक और संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन को प्रकटित नहीं किया था।
	आईएफआईएन सिक्यूरिटिज़ फाइनेंस लिमिटेड	
	एसबीआई कार्डस पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	
एएस-22 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	राजस्थान ड्रग्स एडं फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	पूर्व में मान्य आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उसकी उगाही की वास्तविक निश्चितता के अभाव में अवलेखित नहीं किया गया था।
	इंडियन वेक्सीन कम्पनी लिमिटेड	आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता दी गई थी जबकि प्रचालनों से कोई आय नहीं हुई थी और वर्ष के दौरान किया गया व्यय फैक्ट्री भूमि को किराए पर देने और बैंक जमाओं से ब्याज से प्राप्त आय से अधिक था।
	कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	₹ 17.52 करोड़ की आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को सृजित नहीं किया गया था।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले वयक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थीं। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी प्रबन्धन को भी बताई गई थी। यह त्रुटियां सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थीः-

- लेखाकंन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित सीपीएसई के प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा 104 सीपीएसईज को प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे।

अध्याय 3

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा निगम मामला मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन (मार्च 2015) पर कम्पनी नियमावली 2014 में निदेशकों की नियुक्ति ओर योग्यता (जनवरी 2015), निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां (मार्च 2015) और लेखे (अक्तूबर 2014) को भी अधिसूचित किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। अन्य बातों के साथ साथ आवश्यकता निम्नलिखित प्रदान करती हैः-

- व्यवसायिक आचरण (धारा 149 (8) और उसकी अनुसूची IV) के लिए कर्त्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं।
- सूचीबद्ध कम्पनियों {धारा 149 (1)} के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- कतिपय समितियों जैसे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और क्षतिपूर्ति समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से निर्धारित की जानी है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। {धारा 173(1)}.

3.1.1 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ, सेबी ने सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

3.1.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर कार्यालयी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वंत्रत निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसईज के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर मई 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन, बोर्ड समितियों के संयोजन एवं कार्य जेसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टों और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई 2010 में जारी डीपीई दिशार्निदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसईज के एमओयूज में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसईज़ का संबंध है, वहां उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.3 चयनित सीपीएसईज़ द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2015 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 570 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) थे। सीपीएसईज़ को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसईज़ से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से सेबी (अप्रैल और सितम्बर 2014) द्वारा जारी दिशानिर्देश और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010), कम्पनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी। निर्धारण रूपरेखा

में बोर्ड के गठन और क्रियाकलाप, बोर्ड के सदस्यों की आचरण संहिता, लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में गठन और शर्तें निहित हैं।

समीक्षा में निर्धारण रूपरेखा में दर्शाए गए निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन को कवर किया गया है। समीक्षा में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 49 सूचीबद्ध सीपीएसईज़ कवर की गई है। सीपीएसईज़ की सूची ***परिशिष्ट - VI*** में दी गई है। समीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत है।

3.2 निदेशक मण्डल

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (1) में प्रावधान किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी एवं गैर-कार्रकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिये। तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे।

तालिका 3.1: सीपीएसईज़ में गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या

क्रम. सं.	पीएसई का नाम	कुल निदेशक	गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या	प्रतिशतता
1	एंड्र्यू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	6	2	33
2	बॉमेर लारी एंण्ड कम्पनी लिमिटेड	7	2	29
3	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	12	5	42
4	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	10	4	40
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	4	44
6	कोल इंडिया लिमिटेड	7	2	29
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	10	4	40
8	फर्टिलाइज़र एण्ड केमिक्लस ट्रावनकोर लिमिटेड	6	2	33
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6	1	17
10	इंडियन आलयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	4	40
11	नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड	10	4	40
12	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	2	25
13	एनएमडीसी लिमिटेड	11	3	27

14	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	3	33
15	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	1	25
16	एसजेवीएन लिमिटेड	6	2	33
17	दी शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	8	2	25
18	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	11	4	36

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को जो कि प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने में समर्थ हो, शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। सूचीगत करार के खण्ड 49(II) (ए) (2) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.14 के अनुसार जहाँ बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहाँ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। तथापि, खण्ड 49 (II) (बी) (1) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामिति निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

3.2.2.1 निदेशक बोर्ड के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नही थीः

तालिका 3.2: सीपीएसईज़ जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	जोड	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
1	बीईएमएल लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	3
2	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	3
3	भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	2
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	2
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	गैर-कार्यकारी	4	1
6	कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
8	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
9	हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड	6	गैर-कार्यकारी	2	1
10	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
11	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
12	इंडिया टूरिज़्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
13	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
14	आईटीआई लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	जोड	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
15	केआईओसीएल लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
16	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	6	कार्यकारी	3	1
17	एमएमटीसी लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
18	एमओआईएल लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
19	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	2
20	नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
21	एनएचपीसी लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
22	एनटीपीसी लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	2
23	ऑयल इंडिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
24	ओएनजीसी लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	1
25	पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	3
26	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
27	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
28	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	2
29	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	2

3.2.2.2 तालिका 3.3 में दिए गए सीपीएसईज़ के संबंध में बोर्ड पर कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.3: सीपीएसईज जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड
2	बॉमर लारी एडं कं.लिमिटेड
3	बॉमर लारी इन्वेसटमेंट लिमिटेड
4	कोल इंडिया लिमिटेड
5	फट्रिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड
6	गेल (इंडिया) लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
8	एचएमटी लिमिटेड
9	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड
10	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
11	नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	एसजेवीएन लिमिटेड
15	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
16	दी शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

3.2.2.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का औपचारिक पत्र

सूचीगत करार (अप्रैल 2014) के खण्ड 49 (II) (बी) (4) (ए) में प्रावधान किया गया है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा प्रावधानित तरीके से जारी करेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से होगी जो नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, यह पाया गया कि अधिकतर सूचीबद्ध सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और सीपीएसईज़ द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों में निबंधन और शर्तों का कोई विवरण नहीं था, जैसा तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: सीपीएसईज़ जहां कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
3	एमएमटीसी लिमिटेड

3.2.2.4 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

खण्ड 49 (II) (बी) (7) (ए) एण्ड (बी) में प्रावधान किया जाता है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान कराएगी ताकि वह कम्पनी, उनकी भूमिका, अधिकारो, कम्पनी में उत्तरदायित्व, उद्योग की प्रकृति जिसमें कम्पनी परिचालित करती है, कम्पनी के व्यवसायिक माडल इत्यादि को जान सकें। इसके अतिरिक्त, कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे प्रशिक्षण के विवरण की भी उदघोषणा करेगी। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.5 में सूचीबद्ध निम्नलिखित सीपीएसईज़ में स्वतंत्र निदेशकों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

तालिका 3.5: सीपीएसईज़ जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	केआईओसीएल लिमिटेड
6	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
7	एमएमटीसी लिमिटेड
8	नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड

खण्ड 49 (II) (बी) (7), के संशोधन के विपरीत सीपीएसईज़ की वार्षिक रिपोर्ट में उसका वेब लिंक और प्रशिक्षण का विवरण वेबसाईट पर उदघोषित नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: सीपीएसईज़ जहां वेबसाइट पर कोई प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड
5	दी शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
6	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

3.2.3 नामित निदेशक

डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010) के पैरा 3.1.3 के अनुसार, सरकार/अन्य सीपीएसईज द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी। तथापि, यह देखा गया था कि तालिका 3.7 में दर्शायी गई दो सीपीएसईज में बोर्ड में नामित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक हो गई थी।

तालिका 3.7: सीपीएसईज जहाँ नामित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक हो गई है

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	नामित निदेशकों की संख्या
1	मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	3
2	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड	3

3.2.4 निदेशक बोर्ड की बैठकें

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(I) तथा सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (II) (डी) (I) में आवश्यक है कि बोर्ड किन्ही दो बैठकों के बीच 120 दिनों के अधिकतम समय अन्तराल के साथ वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगा। तथापि, यह देखा गया था कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने 2014-15 के दौरान केवल तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की थी।

3.2.5 निदेशकों के पदों पर भर्ती - कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

निदेशक के रिक्त पदों को समय पर भरना कम्पनी के प्रबन्धन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। रिक्तियों को भरने में कोई विलम्ब निर्णय

लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II) (डी) (4) में अनुबंध किया जाता है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग पत्र अथवा पदच्युति से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द इसके तुरन्त बाद अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, भरा जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि तीन महीने बीत जाने के बावजूद स्वतंत्र निदेशकों के पदों को नही भरा गया था (31 मार्च 2015 तक)। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि तालिका 3.8 में दी गई सीपीएसईज में छह महीने बीत जाने के बावजूद भी कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियाँ भी नहीं भरी गई थी जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) के तहत यथा अपेक्षित है।

तालिका 3.8: सीएसईज जहाँ कार्यकारी एवं स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियाँ समय पर नहीं भरी गई थीं

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	माह में चूक
1	बामर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	19
2	बीईएमएल लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	14
3	भारत इलेक्ट्रोनिकस लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	24
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	निदेशक (ई,आर एण्ड डी)	13
		स्वतन्त्र निदेशक	10
5	कोल इण्डिया लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	4
6	ड्रैजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	48
7	एचएमटी लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	60
		निदेशक (प्रचालन)	8
		स्वतन्त्र निदेशक	60
8	केआईओसीएल लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	5 से 19
9	एमएमटीसी लिमिटेड	सीएमडी	47
		कम्पनी सचिव	17
10	एमओआईएल लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	14
11	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	9
12	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	9
13	एनएचपीसी लिमिटेड	सीएमडी	45
14	एनटीपीसी लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	5
15	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	23
16	एसजेवीएन लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	22

17	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	20 से 96
		स्वतन्त्र निदेशक	5 से 10
18	दी शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	सीएमडी	7
		निदेशक (टी एण्ड ओएस)	3
		निदेशक (वित्त)	3
		स्वतन्त्र निदेशक	3

3.3 लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 सूचीबद्ध करार का खण्ड 49 (III) (ए) में प्रावधान किया जाता है कि न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होगें। तथापि, तालिका 3.9 में यथा वर्णित सीपीएसईज के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 3.9 सीपीएसई जहाँ कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्र यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3	एचएमटी लिमिटेड
4	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड

3.3.2 लेखापरीक्षा समिति का संयोजन

तालिका 3.10 में यथा वर्णित सीपीएसईज के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.10 सीपीएसईज जहाँ लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नैं पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
5	मैगंलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
6	राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
7	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

खण्ड 49(III) (ए) (3) में प्रावधान किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, यह देखा गया था कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक होने के बावजूद लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

3.3.4 खण्ड 49(III)(ए)(4) में अनुबंध किया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष उपस्थिति होगा। तथापि, तालिका 3.11 में सूचीबद्ध निम्नलिखित सीपीएसईज की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2014-15 के दौरान आयोजित एजीएम में उपस्थिति नहीं थे।

तालिका 3.11: सीपीएसईज जहाँ लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल्स लिमिटेड
2	इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
3	दी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फलोरो कार्बन्स लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मेन्युफैकचरिंग कम्पनी लिमिटेड
7	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
8	दी शिंपिग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

3.3.5 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

खण्ड 49 (III) (बी) में अनुबंध किया जाता है कि वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए तथा दो बैठकों के बीच चार महीने से ज्यादा समय नहीं गुजरना चाहिए। कोरम या तो दो सदस्य अथवा लेखापरीक्षा समिति के एक-तिहाई सदस्य होगा, जो भी अधिक हों, परन्तु कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक अवश्य उपस्थित होने चाहिए।

(i) यह देखा गया था कि वर्ष 2014-15 में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में केवल एक बैठक तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में केवल तीन बैठकें आयोजित की गई थीं।

(ii) आगे यह भी देखा गया था कि बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेन्टस लिमिटेड के संबंध में दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच अन्तर चार महीने से अधिक था।

(iii) यह भी देखा गया था कि नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के संबंध में एक लेखापरीक्षा समिति बैठक तथा नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकों में दो से कम स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे जो अपेक्षित कोरम से कम था।

3.3.6 खंड 49(III) (ए) (5) निर्धारित करता है कि लेखापरीक्षा समिति यदि वह उचित समझे तो ऐसे कार्यकारियों (और विशेषतः वित्त कार्य के अध्यक्ष) को, तो समिति की बैठकों में आमंत्रित कर उपस्थित होने के लिए कह सकती है। लेखापरीक्षा समिति कंपनी के किसी कार्यकारी के बिना भी बैठक कर सकती है। वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के एक प्रतिनिधि, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयानुसार लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितों के रूप में विशेषतः आमंत्रित किये जा सकते हैं। तालिका 3.12 में वर्णित सीपीएसईज के संबंध में हालांकि वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था, परंतु वे लेखापरीक्षा समिति की कुछ बैठकों में उपस्थिति नहीं थेः

तालिका 3.12: सीपीएसईज जहाँ वित्तीय निदेशक, आन्तरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा संवैधानिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	अतिथियों ने भाग नहीं लिया	बैठकों की संख्या जिनमें भाग नहीं लिया गया
1	नैशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	आन्तरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि	1
2	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि	2
3	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि	4

3.3.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता

खण्ड 49(III) (डी) (13) में अनुबंध किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति को विभाग के अधिकारिक अध्यक्षों की स्टाफिंग एवं वरिष्ठता, रिपोर्टिंग सरंचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज एवं बारम्बारता सहित आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हैं, की पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए। दो सीपीएसईज यथा भारत इम्यूनोलोजिकल एण्ड

बायोलोजिकल लिमिटेड तथा दी शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की थी।

3.3.8 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III) (डी) (14) के अनुसार, किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष तथा उस पर आगे की कार्यवाही पर आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना लेखापरीक्षा समिति का भी उत्तरदायित्त्व है। यह देखा गया था कि, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा आयोजित नहीं की थी।

3.3.9 चेतावनी तंत्र

सूचीबद्ध करार का संशोधित खण्ड 49 (II) (एफ) में प्रावधान है कि कम्पनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कम्पनी व्यवहार संहिता अथवा नैतिक नीति के उल्लघंन के बारे में मामलों पर रिर्पोट करने के लिए निदेशक एवं कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी तंत्र स्थापित करेगा। यह देखा गया था कि तालिका 3.13 में सूचीबद्ध सीपीएसईज में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

तालिका 3.13: सीपीएसईज जहाँ चेतावनी तंत्र नहीं है

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड
2	बीईएमएल लिमिटेड
3	भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल कारपोरेशन लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	स्कूटर इण्डिया लिमिटेड

खण्ड 49III (डी) 18 में अनुबंध किया जाता है कि यदि कम्पनी में चेतावनी तंत्र विद्यमान है तो लेखापरीक्षा समिति इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करे। नीचे तालिका 3.14 में वर्णित सीपीएसईज में, यद्यपि चेतावनी तंत्र विद्यमान था, फिर भी लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की थी।

तालिका 3.14: सीपीएसईज जहाँ चेतावनी तंत्र है परन्तु लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.10 सीएजी के पूरक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा

वैधानिक अधिदेश के अनुसार सभी सीपीएसईज भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) सीएजी को सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत करती है। लेखापरीक्षा समिति की निष्कर्षों की समीक्षा तथा अनुवर्ती कार्यवाही की भी जाँच करने की जिम्मेदारी है। स्टील ऑथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने पूरक लेखापरीक्षा के तहत जारी किये गए प्रबन्धन पत्र की समीक्षा नहीं की है।

3.3.11 वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

खंड 49 (III) (डी) (16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीखा प्रवृत्ति तथा कार्यक्षेत्र के साथ-साथ किसी चिंतनीय विषय पर पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा की जानी चाहिए। तालिका 3.15 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में, लेखापरीक्षा समितियों ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की:

तालिका 3.15: सीपीएसईज जहाँ लेखापरीक्षा समितियों मे वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा आयोजित नहीं की थी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	चर्चा नहीं की गई
1	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बनस लिमिटेड	कोई पश्च लेखापरीक्षा चर्चा नहीं की गई
2	स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	कोई पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा नहीं की गई
3	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर	कोई पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा नहीं की गई

3.4 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

खण्ड 49(IV) में अनुबंध किया जाता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी जिसमे सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिएं तथा कम से कम आधे स्वतंत्र होगें। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तालिका 3.16 में यथावर्णित सीपीएसईज में कोई पारिश्रमिक समिति नहीं थी।

तालिका 3.16: सीपीएसईज जहाँ पारिश्रमिक समिति नहीं हैं

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान केब्लस लिमिटेड

6	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
8	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
9	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

3.5 सहायक कम्पनियाँ

खण्ड 49(V) (डी) में विनिर्दिष्ट किया जाता है कि कम्पनी महत्त्वपूर्ण सहायक कम्पनियाँ निर्धारित करने के लिए एक नीति बनाएगी तथा यह नीति स्टॉक एक्सचेंज तथा वार्षिक रिपोर्ट में उदघाटित की जाएगी। एचएमटी लिमिटेड के संबंध में ऐसी कोई उदघोषणा नहीं की गई थी।

3.6 जोखिम प्रबन्धन समिति

खण्ड 49 (VI) में अनुबंध किया जाता है कि कम्पनी अपने निदेशक मंडल के माध्यम से जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन करेगी। तथापि, तालिका 3.17 में दी गई सीपीएसईज में अभी तक जोखिम प्रबन्धन समिति नहीं बनाई गई थीः

तालिका 3.17: सीपीएसईज जिनमें जोखिम प्रबन्धन समिति नहीं है

क्रम. सं.	एसीपीएसई का नाम
1	बामर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड
2	कोल इण्डिया लिमिटेड
3	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेंन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

3.7 साचिविक लेखापरीक्षा

साचिविक लेखापरीक्षा (एसए) विधिक अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली का एक भाग है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) में अनुबंध किया जाता है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी बोर्ड की रिपोर्ट के साथ प्रक्रिया अनुसार एक कम्पनी सचिव द्वारा तैयार की गई एक साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगी। तथापि, भारत इम्यूनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में कोई साचिविक लेखापरीक्षा नहीं थी।

3.8 निष्कर्ष

चयनित 49 सीपीएसईज में से, 16 सीपीएसईज में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था; 16 सीपीएसईज में स्वतंत्र विदेशकों की रिक्तियाँ भरने में तीन महीने से अधिक का विलम्ब देखा गया था; छह सीपीएसईज में बोर्ड में कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियॉ भरने में छह महीने से अधिक का विलम्ब देखा गया था; चार सीपीएसईज में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; पाँच सीपीएसईज में कोई चेतावनी तंत्र यथास्थान नहीं था; आठ सीपीएसईज में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई थी।

3.9 सिफारिश:

भारत सरकार दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर दबाव डाल सकती है ताकि सूचीबद्ध सीपीएसईज में निगमित शासन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

अध्याय 4

सीपीएसईज में नकद अधिशेष का प्रबंधन

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार (जीओआई) में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), सीपीएसई में निष्पादन सुधार, वित्तीय लेखाकंन और कार्मिक प्रबंधन पर नीति दिशानिर्देश बनाता है। 31 मार्च 2015 को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 570 सीपीएसईज थीं।

4.1.2 हमने 46[15] सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों और उनकी चार सहायक कम्पनियों के सम्बंध में डाटा का विश्लेषण किया है। 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज 31 जुलाई 2015 को बीएसई में सूचीबद्ध सभी कम्पनियों की कुल बाजार सम्पत्ति (₹ 104,79,396 करोड़) का लगभग 12.89 प्रतिशत (₹ 13,50,506 करोड़) दर्शाती है। 31 मार्च 2015 को 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज के नकद एवं बैंक अधिशेष (सीबीबी) ₹ 1,62,970 करोड़ था। 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में 2014-15 के लिए मुख्य वित्त तालिका 4.1 में दिए गए हैं।

तालिका 4.1: सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में 2014-15 के लिए मुख्य वित्त

(₹ करोड़ में)

बाजार पूंजीकरण	आरक्षित निधि	नकद और बैंक शेष	टर्नओवर	कर पूर्व लाभ
13,50,506	6,82,784	1,62,970	15,60,107	1,30,705

4.2 समीक्षा हेतु विषय के चयन का औचित्य

4.2.1 एक प्रभावी नकद प्रबंधन प्रणाली पर्याप्त नकद और नकद समतुल्य की आवश्यकता को शेयर धारकों के लिए धन को अधिकतम करने के लिए आय प्राप्ति से निवेशों में नकद अधिशेष को चेनलाइज करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करेगा। अधिशेष नकद के प्रबंन्धन पर पिछला अध्ययन 31 सीपीएसईज के संबंध में किया गया था जिसमें पांच

---

[15] चार सूचीबद्ध सीपीएसईज अर्थात (i) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड (ii) कूदेरमुख आयरन ओर क. लि. (iii) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (विनिर्माण) क.लि. (iv) हिन्दुस्तान केबल्स लि. और एक सहायक सरकारी कम्पनी अर्थात् ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड को छोडकर जिनके शेयरों को 2012-15 अध्ययन की अवधि के दौरान ट्रेड नहीं किया गया था।

वर्षों अर्थात 2007 से 2012 की अवधि को कवर किया गया था और लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2013 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 2 में शामिल किया गया था।

4.2.2 सीपीएसईज के उच्च नकद अधिशेषों से निम्नलिखित मामले उत्पन्न हुए। क्या सीपीएसईज अपने शेयरधारकों (मुख्यतः भारत सरकार) को लाभांश की उपयुक्त राशि का भुगतान कर रही है। क्या सीपीएसईज के पास प्रभावी पूंजी व्यय योजनाएं हैं?

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था किः (क) क्या सीपीएसईज की लाभांश नीति डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है तथा निवेशको ने उनके निवेशों के लिए उचित पारितोषिक प्राप्त किया था; (ख) सीपीएसईज ने नकद अधिशेष तथा बैंक शेषों के उपयोग के लिए योजनाएं बनाई थी; (ग) सीपीएसईज के पास नकद अधिशेष के लिए निवेश नीति है जो सुरक्षा, चल निधि तथा लाभकारिता के विषयों को उपयुक्त रूप से संबोधित करती है।; तथा (घ) निदेशक मंडल तथा मंत्रालय ने उच्च नकद आरक्षित का संज्ञान किया तथा उस पर कार्रवाई प्रारंभ की।

4.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, मानदंड तथा कार्य-प्रणाली

4.4.1 लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के लिए 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज में से 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज का चयन किया, जैसा ***परिशिष्ट - VII*** में दिया गया है, जिसका सीबीबी 31 मार्च 2015 तक ₹ 1,000 करोड़ से अधिक था/या 2014-15 के दौरान कुल बिक्री ₹ 1,000 करोड़ से अधिक थी। लेखापरीक्षा ने 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2015 तक तीन वर्षों की अवधि कवर की। जैसा तालिका 4.2 से देखा जा सकता है, 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज के पास ₹ 1,62,019 करोड़ का सीबीबी 31 मार्च 2015 तक था जो 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज द्वारा रखे गए कुल सीबीबी का 99.42 प्रतिशत बनता है।

तालिका 4.2: लेखापरीक्षा के लिए चयनित 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज की वित्तीय विशेषतायें

(₹ करोड़ में)

विवरण	सूचीबद्ध सीपीएसईज की संख्या	31 मार्च 2015 को सीबीबीज
सूचीबद्धी सीपीएसईज की सीबीबी	46	1,62,970
₹ 1000 करोड़ या अधिक की सीबीबीज वाले सूचीबद्ध सीपीएसईज	23	1,60,586

₹ 1000 करोड़* से अधिक की कुल बिक्री वाले सूचीबद्ध सीपीएसईज		13		1,433
लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीपीएसईज		36		1,62,019
31 मार्च 2015 को इन 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज के प्रमुख वित्तीय (₹ करोड़ में)				
बाजार पूंजीकरण	**आरक्षित निधि तथा अधिशेष**	**सीबीबी**	**कुल बिक्री**	**कर से पूर्व लाभ**
13,41,238[16]	6,82,772	1,62,019	15,56,223	1,31,150

* ₹ 1,000 करोड़ या अधिक की सीबीबी वाली सीपीएसईज को छोड़कर

4.4.2 लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल हैः डीपीई, प्रशासकीय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से दिशा-निर्देश; कम्पनी अधिनियम के प्रावधान; सीपीएसईज के निर्णय तथा सीबीबी प्रयोग योजनाएँ। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए सीपीएईज के सुसंगत मानदंड तथा अभिलेखों की जाँच की।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.5.1 लाभांश भुगतान

4.5.1.1 डीपीई ओ.एम.सं. 15/10/2004- डीपीई (जीएम) दिनांक 18 अक्तूबर 2004 में निर्धारित किया गया कि सभी लाभ कमाने वाली सीपीएसईज को लाभांश भुगतान करना चाहिए (क) पीएटी का 20 प्रतिशत (तेल, पैट्रोलियम, रसायन तथा अन्य अवसंरचना कम्पनियों के मामले में 30 प्रतिशत); या (ख) इक्विटी का 20 प्रतिशत, जो उच्चतर हो। 36 सीपीएसईज में से, 30 सीपीएसईज ने 2012-15 के दौरान ₹ 1,27,078 करोड़ के कुल लाभांश का भुगतान किया। शेयरधारक की सम्पत्ति को बढाने के लक्ष्य द्वारा निर्देशित लाभांश चुकाना या धारण वित्तीय आवश्यकताओं तथा चल निधि स्थिति तथा शेयरधारकों की सामान्य अपेक्षाओं जैसे घटको पर निर्भर करता है। कम्पनी अधिनियम लाभांश के माध्यम से लाभ या आरक्षित निधि के वितरण का अधिकार कम्पनी के निर्देशक मंडल को प्रदान करता है तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित लाभ वितरण की मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती।

4.5.1.2 चार सीपीएसईज़ जैसा कि तालिका 4.3 (क) और 4.3 (ख) में दर्शाया गया है ने 2014-15 के दौरान कर के बाद पर्याप्त लाभ होने के बावजूद डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित न्यूनतम लाभांश का वितरण नहीं किया।

[16] 31 जुलाई 2015 को

तालिका 4.3 (क): सीपीएसई, जिन्होंने वर्तमान वर्ष पीएटी में से पीएटी का 20% या 20% इक्विटी, जो भी अधिक था के न्यूनतम लाभांश का भुगतान नहीं किया

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	अन्त सीबीबी	इक्विटी	इक्विटी का 20%	पीएटी	पीएटी का 20%	भुगतान किया जाना अपेक्षित लाभांश	भुगतान किया गया लाभांश	लाभांश भुगतान में कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) या (6) में से अधिक	(8)	(9)
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,256	465	93	201	40	93	0	93
							4.3(क) का कुल जोड़	**93**

तालिका 4.3 (ख): सीपीएसई, जिन्होंने वर्तमान वर्ष पीएटी में से पीएटी का 30% या 20% इक्विटी, जो भी अधिक था के न्यूनतम लाभांश का भुगतान नहीं किया

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	अन्त सीबीबी	इक्विटी	इक्विटी का 20%	पीएटी	पीएटी का 30%	भुगतान किया जाना अपेक्षित लाभांश	भुगतान किया गया लाभांश	लाभांश भुगतान में कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) या (6) में से अधिक	(8)	(9)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	2,063	5,232	1,046	4,979	1,494	1,494	1,046	448
गेल (इंडिया) लिमिटेड	1,142	1,268	254	3,039	912	912	761	151
एनटीपीसी लिमिटेड	12,879	8,245	1,649	10,291	3,087	3,087	2,061	1,026
							4.3(ख) का उप-जोड़	**1,625**
डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में लाभांश भुगतान में कुल कमी							**4.3(क) जमा 4.3(ख)**	**1,718**

4.5.1.3 मामले को 2013 की सीएजी की रिपोर्ट संख्या 2 में पैरा 7.2.1 (अध्याय 7 सीपीएसईज द्वारा अधिशेष नकद का प्रबंधन) में पहले भी उठाया गया था कि चूँकि लाभांश का भुगतान सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ में से किया जाना है, इसलिए उन सभी मामलों में, जहां एक विशेष वर्ष के लिये पीएटी की समस्त राशि इक्विटी की 20 प्रतिशत राशि से कम है वहां पीएटी का 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत इक्विटी, जो भी उच्च है के प्रावधान का पालन करना संभव नहीं होगा। इस संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि लाभांश का वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी के लाभ में से या पिछले वित्तीय वर्षों के लिए लाभ में से या दोनों में से भुगतान किया जायेगा। तालिका 4.4 (क) और 4.4 (ख) दर्शाती है कि चार

सीपीएसईज़ ने सुसंगत वर्ष में अपर्याप्त पीएटी के कारण डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित न्यूनतम लाभांश का वितरण नहीं किया, यद्यपि उनके पास पर्याप्त मुक्त आरक्षित निधि थी और अपेक्षित न्यूनतम लाभांश के भुगतान के लिये पर्याप्त सीबीबी थी।

(31-3-2015 को ₹ करोड़ में)

तालिका 4.4 (क): पर्याप्त पिछली आरक्षित निधि और सीबीबी होने के बावजूद सीपीईज़ जिन्होंने पीएटी का 20% का या 20% इक्विटी, जो भी अधिक था के न्यूनतम लाभांश का भुगतान नहीं किया

सीपीएसई	वित्तीय वर्ष	अन्त मुक्त आरक्षित निधि[17]	सीबीबी	इक्विटी	इक्विटी का 20 %	पीएटी	पीएटी का 20%	भुगतान किये जाने वाला अपेक्षित लाभांश	लाभांश भुगतान	लाभांश भुगतान में कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) या (8) में से अधिक	(10)	(11)
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	2014-15	1,182	320	463	93	68	14	93	14	79
बीईएमएल लिमिटेड	2014-15	2,022	145	42	8	7	1	8	4	4
4(क) का उप-जोड़										**83**

तालिका 4 (ख): पर्याप्त पिछली आरक्षित निधि और सीबीबी होने के बावजूद सीपीईज़ जिन्होंनें पीएटी का 30% का और 20% इक्विटी, जो भी अधिक था के न्यूनतम लाभांश का भुगतान नहीं किया

सीपीएसई	वित्तीय वर्ष	अन्त मुक्त आरक्षित निधि	सीबीबी	इक्विटी	इक्विटी का 20 %	पीएटी	पीएटी का 30%	भुगतान किये जाने वाला अपेक्षित लाभांश	लाभांश भुगतान	लाभांश भुगतान में कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) या (8) में से अधिक	(10)	(11)
एनएचपीसी लिमिटेड	2012-13	14,135	5,616	12,301	2,460	2,348	704	2,460	738	1,722
	2013-14	12,068	5,304	11,071	2,214	979	294	2,214	332	1,882
	2014-15	13,867	5,422	11,071	2,214	2,125	638	2,214	664	1,550
4(ख) का उप जोड़										**5,154**
डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में लाभांश भुगतान में कुल कमी 4(क) जमा (ख)										**5,237**

[17] अन्त मुक्त आरक्षित निधि में सामान्य आरक्षित निधि, अधिशेष और शेयर प्रीमियम आरक्षित निधि शामिल है।

4.5.2 बोनस शेयर जारी करना

4.5.2.1 सीपीएसईज द्वारा बोनस शेयर जारी करना प्रति शेयर बाजार मूल्य में कमी के माध्यम से स्टॉक बाजार में कंपनी के शेयर के सक्रिय व्यापार को बढावा देने; और अपने व्यापक इक्विटि आधार के प्रयोग के लिये उसकी जारी समर्थता के माध्यम से कम्पनी की वित्तीय क्षमता के बारे में स्टॉक बाजार को मजबूत संकेत के रूप में कार्य करने में सहायता करता है। नवम्बर 2011 में यथा अद्यतित नवम्बर 1995 के डीपीई दिशानिर्देशों[18] में सीपीएसई द्वारा बोनस शेयर जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार:

- सीपीसीईज़ जिनके पास उनकी प्रदत्त पूँजी की तुलना में पर्याप्त अधिक आरक्षित निधि है को आरक्षित निधि को पूँजीकृत करने के लिये बोनस शेयर जारी करने चाहिये;
- सीपीएसईज़ को शेयर बोनस के निर्मुक्त करने को समायोजित करने के लिये अपनी प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिये; और
- प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय को अपने नियंत्रण के अंतर्गत उद्यमों को निर्देश देने चाहिये कि उनकी प्रदत्त पूंजी के तीन गुना से अधिक आरक्षित निधि होने वाले सीपीईसीज़ को बोनस शेयर जारी करने के विषय पर शीघ्र ध्यान देना चाहिये।

4.5.2.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि 36 सीपीएसईज़ में से नौ को बोनस शेयर जारी करना अपेक्षित नहीं था क्योंकि उनकी प्रदत्त पूँजी उनकी आरक्षित निधि से तीन गुना से कम थी। 24 सीपीएसईज़ जिनकी प्रदत्त पूँजी आरक्षित निधि अनुपात से 1:3 से अधिक थी ने बोनस शेयर जारी नहीं किया जैसा कि तालिका 4.5 में दिया गया है। तीन सीपीएसईज़ अर्थात बॉल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2012-15 के दौरान बोनस शेयर जारी किये लेकिन उनकी प्रदत्त पूँजी आरक्षित निधि से 1:3 से अधिक रही थी (तालिका 4.6)। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने ग्यारह सीपीएसईज़ नामत: बामर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन

[18] दिनांक 10 नवम्बर 1995 का डीपीई का.ज्ञा. संख्या डीपीई/12(6)/95 और 25 नवम्बर 2011 का डीपीई का.ज्ञा. संख्या डीपीई/13(21)/1

लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में बोनस शेयर जारी करने के लिये निर्देश जारी नहीं किये। बीईएमएल लिमिटेड ने मई 2012 में बोर्ड के सैद्धांतिक अनुमोदन के बावजूद बोनस शेयर जारी नहीं किए।

तालिका 4.5: सीपीएसई जिन्होंने बोनस शेयर जारी नहीं किये

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूँजी	मुक्त आरक्षित निधि	आरक्षित निधि के गुणा की संख्या
	31 मार्च 2015 तक		
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
बीईएमएल लिमिटेड	42	2,022	48.14
भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	80	7,756	96.95
भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	490	33,559	68.49
चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्परिशन लिमिटेड	149	1,506	10.11
कोल इंडिया लिमिटेड	6,316	32,265	5.11
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	168	2,369	14.10
गेल (इंडिया) लिमिटेड	1,268	27,620	21.78
हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्परिशन लिमिटेड	339	15,330	45.22
इंडियन ऑयल कॉर्परिशन लिमिटेड	2,428	62,646	25.80
एमएमटीसी लिमिटेड	100	1,259	12.59
मॉयल लिमिटेड	168	3,214	19.13
नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	1,289	11,508	8.93
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्परिशन लिमिटेड	120	1,204	10.03
नेवेली लिग्नाइट कॉर्परिशन लिमिटेड	1,678	12,687	7.56
एनएमडीसी लिमिटेड	396	31,935	80.64
एनटीपीसी लिमिटेड	8,245	69,149	8.38
ऑयल एंड नेचुरूल गैस कॉर्परिशन लिमिटेड	4,278	1,40,306	32.80
ऑयल इंडिया लिमिटेड	601	20,898	34.77
पावर फाइनेंस कॉर्परिशन लिमिटेड	1,320	17,165	13
पावर ग्रिड कॉर्परिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,232	26,548	5.07
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	552	2,159	3.91
रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्परिशन लिमिटेड	987	13,497	13.67
दि शिपिंग कॉर्परिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	466	4,577	9.82
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,131	38,336	9.28

तालिका 4.6: 31 मार्च 2015 को तीन सीपीएसई की प्रदत्त पूँजी और मुक्त आरक्षित निधि, जिनका अनुपात बोनस शेयर जारी करने के बावजूद 1:3 से अधिक रहा था

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूँजी	मुक्त आरक्षित निधि	आरक्षित निधि के गुणा की संख्या
बामर लॉरी एंड कं. लिमिटेड	29	875	30.17
भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	723	21,176	29.29
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	195	7,441	38.16

4.5.2.3 सीपीएसई के प्रबंधन ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा (18 नवम्बर 2015) कि बोर्ड 12 फरवरी 2013 को आयोजित उनकी बैठक में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव के लिये सहमत नहीं हुआ।
- एमएमटीसी लिमिटेड ने कहा (6 नवम्बर 2015) कि व्यय योजना को पूरा करने के लिये अपेक्षित निधि बहिर्गमन को ध्यान में रखते हुये, बोनस शेयर जारी करना संभव नहीं था।
- राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने कहा (13 अक्टूबर 2015) कि बोनस शेयर जारी करने का अर्थ है लाभांश दर से समझौता करना।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा (30 अक्टूबर 2015) कि बोनस शेयर जारी करने का अर्थ है कि शेयरों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रति शेयर आय कम हो जाती है और बोनस शेयर को लगातार जारी करने से कम्पनी की नवरत्न प्रास्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।
- नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा (13 नवम्बर 2015) कि बोनस शेयर जारी करने का कारोबार विकास के लिये शेयर के 10 प्रतिशत को नया जारी करने में बढ़ोत्तरी के साथ भारत सरकार की 10 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के विनिवेश के बाद निर्णय लिया जायेगा।

- ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा (9 नवम्बर 2015) कि एमओपीएनजी से बोनस शेयर जारी करने के लिये कोई दिशानिर्देश/निर्देश नहीं हैं।
- नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा (5 नवम्बर 2015) कि बोनस शेयर जारी करने के लिये डीपीई दिशानिर्देशों का 12वीं योजना अवधि के लक्षित निवेश को पूर्ण करने के कारण पालन नहीं किया जा सकता।

4.5.3 शेयरों का पुन: क्रय

4.5.3.1 कम्पनी अपने शेयरों को पुन: क्रय करते हुए अधिशेष नकद को वापस करने का निर्णय ले सकती है जब उसके पास अधिशेष नकद हो और ऐसे अधिशेष नकद के निवेश के लिये सही अवसर नहीं हो। शेयरों के पुन: क्रय पर दिनांक 26 मार्च 2012 के डीपीई का.ज्ञा. संख्या डीपीई/14(24)/2011-वित्त व्यक्त करता है कि:

- सीपीएसईज़ को कम्पनी में निवेशक की निरंतर रूचि के लिये उनके शेयरों को पुन: क्रय करने और बाजार से निधियों को जुटाने के लिये कम्पनी की समर्थता के दीर्घकालिक महत्व में उनके बाजार पूँजीकरण की सुरक्षा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है; और
- यदि ऐसा प्रावधान उनके अंतर्नियमों में मौजूद नहीं हो तो सीपीएसईज़ द्वारा शेयरों के पुन: क्रय करने के लिये अपने संस्था के अंतर्नियमों (एओए) में संशोधन किया जाएगा।

4.5.3.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि आठ सीपीएसईज़ के मामले में, प्रबंधन द्वारा शेयर का पुन: क्रय करने के लिये एओए को संशोधित करना बाकी है। संस्था के अंतर्नियमों में 24 सीपीएसई में शेयरों के पुन: क्रय के लिये प्रावधान है, लेकिन एनएचपीसी लिमिटेड को छोड़कर, शेयरों का पुन: क्रय 23 सीपीएसई द्वारा नहीं किया गया था, जबकि चार सीपीएसईज़ अर्थात भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दि फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

4.5.3.3 ग्यारह सीपीएसईज़ थे जिनके पास मार्च 2015 को समाप्त पिछली 12 तिमाही में ₹ 1000 करोड़ से अधिक के औसत सीबीबी थे और बिना किसी या महत्वहीन दीर्घकालिक उधारियों के साथ पर्याप्त सीबीबी और आरक्षित निधि और अधिशेष स्थिति भी थी जैसा तालिका 4.7 में दर्शाया गया है। ये सीपीएसईज़ अपने स्वयं के शेयर के पुन: क्रय को ध्यान में रख सकती थी।

तालिका 4.7: सीपीएसईज़ जो बोनस शेयर जारी करने और/या शेयरों का पुन: क्रय पर विचार कर सकती थी

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	पिछली 12 तिमाही की औसत सीबीबी	मार्च 2015 तक		2014-15 के दौरान		
		आरक्षित निधि और अधिशेष	दीर्घकालिक उधारी	प्रदत्त लाभांश	नियोजित पूंजीगत व्यय	वास्तवि पूंजीगत व्यय
भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4,956	7,805	0	234	625	218
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	7,691	33,595	61	284	493	395
कोल इंडिया लिमिटेड	60,729	34,037	202	13,075	5,225	5,173
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,851	7,440	0	261	1,146	1,037
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1,900	2,399	0	168	176	173
मॉयल लिमिटेड	2,608	3,214	0	143	192	115
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	4,060	11,509	0	451	2,739	282
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,310	1,204	0	66	No Plan	No Plan
एनएमडीसी लिमिटेड	20,775	31,935	0	3,390	7,825	3,136
ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,534	1,40,323	0	8,128	16,531*	2,770*
ऑयल इंडिया लिमिटेड	11,167	20,913	8,341	1,202	3,632	3,774

*मार्च 2015 को समाप्त तीन वर्षों का औसत।

4.5.3.4 36 सीपीएसईज़ में से, उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हुए 23 सीपीएसईज़ के एमओयू में यह देखा गया कि अधिशेष नकद का उपयोग उस सीपीएसई के निष्पादन की निगरानी के लिये वित्तीय पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं था। शेष सीपीएसई के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं था।

4.5.4 अधिशेष नकद के निवेश के लिये सीपीएसईज़ में निवेश नीति और प्रक्रिया

4.5.4.1 डीपीई का.ज्ञा. संख्या 4/3/92-वित्त दिनांक 27 जून 1994 और का.ज्ञा. संख्या 4/6/94-वित्त दिनांक 14 दिसम्बर 1994 में सुझाव दिया गया कि: निवेश नीति स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिये; निवेश केवल अधिकतम सुरक्षा वाले साधनों में करना चाहिये; अधिशेष उपलब्धता की सीपीएसईज़ द्वारा निधियों की उपलब्धता के बेहतर अनुमानों को तैयार करके योजना बनाई जा सकती है और प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित किया जा सकता है; सभी सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निधियों के निवेश के संबंध में निर्णय पारदर्शी होता है और प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंदर लिया जाता है; और ऐसे उचित प्राधिकारी की बोर्ड द्वारा निगरानी की जाती है। 36 सीपीएसईज में से 10, नामत: एमएमटीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, मॉयल लिमिटेड, दि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास फर्टीलाईजर्स लिमिटेड, दि फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड ने अधिशेष नकद के लिये अपनी निवेश नीति नहीं बनाई।

4.5.4.2 निवेश के लिये उप-समिति का गठन

दिनांक 14 दिसम्बर 1994 के का.ज्ञा. संख्या 4/6/94 के अनुसार, अधिशेष निधियों के निवेश पर निर्णय सीपीएसईज़ बोर्ड द्वारा लिया जाना चाहिये। तथापि, निवेशों पर निर्णय जिसमें एक वर्ष की मेच्यूरिटी तक और निवेश की निर्धारित सीमा तक अल्पकालिक निधियां शामिल हैं को निर्दिष्ट निदेशक समूह को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, जिसमें निरपवाद रूप से अन्य के अलावा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)/वित्त का अध्यक्ष शामिल होने चाहिये। जहां ऐसा प्रत्यायोजन किया गया है, वहां प्रत्यायोजन आदेश प्रत्येक अधिकारी की शक्तियां और अनुमोदन का स्तर बतायेगा, जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। तथापि, राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और दि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में, शक्तियां मात्र से अध्यक्ष/निदेशक (वित्त) को संयुक्त रूप से निहित थीं और डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित कोई भी उप-समिति नहीं बनाई गई थी। शेष सीपीएसईज़ के संबंध में, निवेशों के लिये उप-समिति, चार सीपीएसई अर्थात बीईएमएल लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, महानगर टेलिफोन लिमिटेड और दि फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड को छोड़कर जहां डाटा उपलब्ध नहीं थे, बनाई गई थी।

4.5.4.3 निवेशों का संयोजन

निधियों के अधिशेष के संबंध में दिनांक 11 अप्रैल 2008 के डीपीई का. ज्ञा. संख्या डीपीई/11(47)/2006-वित्त बताता है कि मंत्रालय/विभाग/अन्य एजेंसियों/सत्त्वों आदि के नियंत्रण के अंतर्गत निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पास बना रहे। 36 सीपीएसईज़ के निवेशों और नकदी का संयोजन ***परिशिष्ट-VIII*** और तालिका 4.8 में दिया गया है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को छोड़कर (2014-15 के दौरान) सभी सीपीएसईज ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में अपनी निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत निवेश किया था।

तालिका 4.8: 31 मार्च 2015 को 36 सीपीएसईज़ के निवेश और नकदी का संयोजन

(₹ करोड़ में)

संयोजन	नकद और स्टेंप	बैंक/ एफडी	सरकारी बांड आदि	इक्विटी और म्यूचुअल निधि	कॉर्पोरेट जमा	विविध	कुल
कुल	791	1,61,161	34,885	59,519	2,124	3,241	2,61,721
प्रतिशतता	0.30	61.58	13.33	22.74	0.81	1.24	100

4.5.4.4 निवेश और प्रत्यक्ष सत्यापन की सुरक्षा अभिरक्षा

निवेशों को सुरक्षा अभिरक्षा में रखा जाना चाहिये और धोखाधड़ी से बचने के लिये स्वामित्व के शीर्षक और प्रत्यक्ष स्थिति के लिये आवधिक रूप से सत्यापन किया जाना चाहिये। सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेजों में निम्न शामिल हैं (i) सावधि जमा/अल्प जमा रसीदें; (ii) निवेश आदि के इलैक्ट्रॉनिक होल्डिंग को दर्शाने वाले बैंकों के लेखा विवरण। 28 सीपीएसईज़ के मामले में स्वामित्व के शीर्षक के आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन और निवेशों की सुरक्षा अभिरक्षा के लिये व्यवस्था की गई थी। सावधि जमाओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 2012-15 के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नहीं किया गया था। शेष सीपीएसई के मामले में पूर्ण डाटा उपलब्ध नहीं था।

4.6 बोर्ड द्वारा अभिशासन और मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

निदेशक मण्डल कम्पनी के निष्पादन के समग्र पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी है और निवेश निर्णयों में कम्पनी को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।प्रशासनिक मंत्रालय, उनके साथ सीपीएसई द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम

से सीपीएसईज के निष्पादन की निगरानी करता है। सीपीएसईज़ बोर्ड द्वारा अभिशासन और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की तुलना में मंत्रालय का निरीक्षण निम्नलिखित निष्कर्ष में देखा जा सकता है।

4.7 निष्कर्ष

- चार सीपीएसई ने कर के बाद पर्याप्त लाभ होने के बावजूद डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार ₹ 1,718 करोड़ के न्यूनतम लाभांश का वितरण नहीं किया;

- तीन सीपीएसई ने बहुत अधिक मुक्त आरक्षित निधि होने के बावजूद, अपर्याप्त पीएटी के कारण, डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित ₹ 5,237 करोड़ के न्यूनतम लाभांश का वितरण नहीं किया;

- 27 सीपीएसईज़ के मामले में मुक्त आरक्षित निधि उनकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुणा अधिक थी। तथापि, बोनस शेयर 24 सीपीएसईज के मामले में डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित जारी नहीं किये गये थे। तीन सीपीएसईज़ नामत: बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में, बोनस शेयर जारी करने के बाद भी उनकी आरक्षित निधि उनकी प्रदत्त पूँजी से तीन गुणा से अधिक रही थी। उन्होंने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोनस शेयर जारी करने पर विचार नहीं किया;

- आठ सीपीएसईज़ के मामले में, प्रबंधन को डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित शेयरों के पुन: क्रय करने के लिये मुहैया कराए गए संस्था के अंतर्नियम अभी संशोधित करने हैं;

- 23 सीपीएसई के एमओयू में निष्पादन की निगरानी के लिए वित्तीय पैरामीटर के रूप में अधिशेष नकद के उपयोग में शामिल नहीं था; और

- 10 सीपीएसईज़ नामत: एमएमटीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, मॉयल लिमिटेड, दि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड,

दि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित अधिशेष नकद के निवेश हेतु अपनी निवेश नीति का निरूपण नहीं किया।

4.8 सिफारिश

बोर्ड के निरीक्षण और प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसईज़ द्वारा धारित अधिशेष नकद और डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जाए।

नई दिल्ली
दिनांक: 31 मार्च 2016

(प्रसेनजीत मुखर्जी)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
और अध्यक्ष, लेखापरीक्षक बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 1 अप्रैल 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(पैरा सं. 1.1.3 व 2.3.2 देखें)

नई/बंद की गई सरकारी कंपनियों / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची

क्रम सं.	कम्पनी का नाम
नई सरकारी कंपनियां	
1	बीईएल-थेल्स सिस्ट्मस लिमिटेड
2	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ डब्लयूआर ट्रासमिशन लिमिटेड
4	गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड
5	गदरवारा (ए) ट्रांसको लिमिटेड
6	एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड
7	इरकॉन वीबी टोलवे लिमिटेड
8	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड
9	महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड
10	मोहिंद्रगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड
11	नागपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
12	नेशनल क्रेडिट गारन्टी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
13	नेशनल हाइवे एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
14	एनबीसीसी सर्विसेस लिमिटेड
15	ओएनजीसी मंगलोर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड
16	पावर ग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
17	रेलटेल इंटरप्राइजेस लिमिटेड
18	रायपुर- राजनदंगाँव वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड
19	एसएचसीआईएल प्रोजेक्टस लिमिटेड
20	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड
21	सिपट ट्रांसमिशन लिमिटेड
22	साऊथ सेन्ट्रल इस्ट दिल्ली पावर ट्रासमिशन लिमिटेड
23	स्टॉक हॉल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
24	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड

परिशिष्ट-I (जारी)

सरकार द्वारा नियंत्रित नई अन्य कंपनियां	
1	अवंतिका गैस लिमिटेड
2	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
3	बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड
4	सैन्ट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड
5	डीएमआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर कंपनी लिमिटेड
6	ग्रीन गैस लिमिटेड
7	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
8	कोची सलेम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
9	महाराष्ट्र नैचुरल गैस लिमिटेड
10	मीडिया लैब एशिया
11	मुम्बई एविएशन फ्यूल फार्म फेसिलिटिज प्राइवेट लिमिटेड
12	रेलवे स्पोर्टस प्रोमोशन बोर्ड
13	एसबीआईसीएपी सिक्युरिटिज लिमिटेड
14	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी लिमिटेड
15	एसबीआईसीएपी वेन्चर्स लिमिटेड
बंद की गई सरकारी कंपनियां	
1	दरभंगा-मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
2	आईडीबीआई इन्फ्राफिन लिमिटेड
3	इसको उजैन पाइप एण्ड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड
4	कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड
5	एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड
6	एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड
7	पेट्रोन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
8	पुरूलिया एण्ड खडगपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
9	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
10	स्टेट फार्मस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	वायुदूत लिमिटेड
बंद की गई सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	
1	एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड)
2	नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट कंपनी लिमिटेड

परिशिष्ट - II क

(पैरा सं. 1.1.3 व 2.3.2 देखें)

बकाया लेखे या परिसमापनाधीन कम्पनी

क. सरकारी कंपनियां तथा निगम

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	वर्ष जिसके लिए 30 सितम्बर 2015 तक लेखे प्राप्त नहीं हुए
सांविधिक निगम		
1	फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	2014-15
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां		
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम		
2	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	2014-15
सरकारी कंपनियां		
कृषि आधारित उद्यम		
3	एग्रीनोवोटीव इंडिया लिमिटेड	2014-15
रसायन एवं उर्वरक		
4	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड	2014-15
5	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15
6	एचओसी चेमतूर लिमिटेड	2014-15
7	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	2013-14 से 2014-15
नागर विमानन		
8	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2013-14, 2014-15
9	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	2014-15
10	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	2014-15
11	एयर इंडिया लिमिटेड	2014-15
12	एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	2014-15
13	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2014-15
वित्त		
14	सिक्युरिटी प्रिन्टिंग एण्ड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2014-15
स्वास्थय एवं परिवार कल्याण		
15	इंडियन मेडिसिन एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम		
16	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15
17	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर लिमिटेड	2014-15
18	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15

परिशिष्ट - II क (जारी)

(पैरा 1.1.3 व 2.3.2 देखें)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए 30 सितम्बर 2015 तक लेखे प्राप्त नहीं हुए
19	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	2013-14, 2014-15
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस		
20	बेको लॉरी लिमिटेड	2014-15
21	केरल गेल गैस लिमिटेड	2014-15
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
22	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2014-15
टैक्सटाइल		
23	बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड	2014-15
24	दि ब्रिटिस इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन		
25	चंडीगढ़ इन्ड्रस्ट्रीयल एण्ड टयूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15
26	चंडीगढ़ सिडयूल्ड कास्ट फाइनेन्शल एण्ड डेवलपमेंटस कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां		
रसायन एवं उर्वरक		
**27	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**28	बिहार ड्रग्स एण्ड ऑर्ग्रेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2012-13 से 2014-15
**29	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्रा) लिमिटेड	2006-07 से 2014-15
**30	महाराष्ट्र एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**31	मणिपुर स्टेट ड्रगस एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	अप्रचलित
**32	ओडिशा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**33	स्मिथ स्टोनिस्ट्रीट फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**34	दि सदर्न पेस्टीसाइट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
वाणिज्य एवं उदयम		
**35	टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
**36	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नॉलोजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
वित्त		
**37	इनडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन 2012-13 से 2014-15

परिशिष्ट - II क (जारी)

(पैरा 1.1.3 व 2.3.2 देखें)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए 30 सितम्बर 2015 तक लेखे प्राप्त नहीं हुए
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम		
**38	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**39	भारत ओपथालामिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**40	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**41	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**42	साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**43	मंडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**44	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**45	नेशनल इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**46	रिहैबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**47	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**48	टेनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**49	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2012-13 से 2014-15
**50	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास		
51	नार्थ इस्टर्न रिजनल्स एग्रीकल्चर मार्किटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15
विद्युत		
**52	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए-2014-15
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग		
**53	इंडियन रोड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
टैक्सटाइल		
**54	ब्रुशवेयर लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**55	कावनपोर टैक्सटाइल्स लिमिटेड	अप्रचलित
**56	दि एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	अप्रचलित
शहरी विकास		
**57	नागपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए-2014-15
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन		
**58	चंडीगढ़ चाइल्ड एण्ड वुमन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2008-09 से 2014-15

परिशिष्ट - II ख

(पैरा 1.1.3 व 2.3.2 देखें)

बकाया लेखें या परिसमापनाधीन/अप्रचलित के अंतर्गत कंपनी

ख. सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए 30 सितम्बर 2015 तक लेखे प्राप्त नहीं हुए
**1.	एक्यूमेजर्स (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**2.	एलाईड इंटरनेशनल प्रोड्क्टस लिमिटेड	अप्रचलित
**3.	बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी लिमिटेड	अप्रचलित
**4.	बिहार इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनीकल कंस्लटेन्सी ऑर्गेनाईजेशन लिमिटेड	अप्रचलित
**5	एक्सेलसियर प्लांटस कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**6.	फलेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड	2012-13 से 2014-15
**7.	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**8	गैस एवं विद्युत निवेश कम्पनी लिमिटेड	2013-14, 2014-15
**9	इंडिया क्लीयरिंग एण्ड डिपोजिटरी सर्विसेस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**10	जे एण्ड के इन्डस्ट्रियल एण्ड टेकनिकल कनसल्टेन्सी आरगेनाईजेशन लिमिटेड	अप्रचलित
**11	मीडिया लैब एशिया	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए – 2014-15
12	मिनाचिल ट्रिटिड रबडवुड (प्रा) लिमिटेड	2014-15
**13	मिलेनियम इन्फारमेशन सिस्टमस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**14	नालंदा सिरामिक्स एण्ड इन्डस्ट्रिस लिमिटेड	अप्रचलित
**15	रेलवे स्पोर्टस प्रोमोशन बोर्ड	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए -2014-15
**16	नार्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनिकल कंस्टटेंसी आर्गेनाइजेंशन लिमिटेड	2010-11 से 2014-15
**17	उड़ीसा इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनिकल कंस्लटेंसी ऑर्गेनाईजेशन लिमिटेड	अप्रचलित
18	पम्बा रबर्स लिमिटेड	2014-15
**19	पजासी रबर्स (प्रा.) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
20	पोनुमदी रबर्स (प्रा.) लिमिटेड	2013-14, 2014-15
21	रबरवुड इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड	2014-15
22	टेक्टाइल्स प्रोसेसिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
23	यूपी इंडस्ट्रीयल एण्ड टेक्निकल कन्सलटेंस लिमिटेड	2014-15
**24	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन

परिशिष्ट - III

(पैरा सं. 1.3.2 में देखें)

सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर के पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	प्रदत्त पूंजी का 20 प्रतिशत	कर के पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत	घोषित किया जाने वाला अपेक्षित न्यूनतम लाभांश	लाभांश में कमी
सूचीबद्ध सरकारी कंपनिया								
रसायन एवं उर्वरक								
1	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	551.69	322.06	99.30	110.34	64.41	110.34	11.04
ऊर्जा								
2	एसजेवीएन लिमिटेड	4136.63	1676.75	434.35	827.33	335.35	827.33	392.98
शिपिंग								
3	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28.00	62.41	8.40	5.60	12.48	12.48	4.08
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
कृषि								
4	नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड	54.17	38.84	8.13	10.83	7.77	10.83	2.70
परमाणु ऊर्जा								
5	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10174.33	2200.75	639.13	2034.87	440.15	2034.87	1395.74
6	इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	163.37	50.18	10.04	32.67	10.04	32.67	22.63
कम्यूनिकेशन एण्ड इंफोर्मेशन टेक्नालॉजी								
7	टेलीकम्यूनिकेशन कंस्लटेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	43.20	21.37	2.58	8.64	4.27	8.64	6.06
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम								
8	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	54.99	14.60	1.37	11.00	2.92	11.00	9.63

परिशिष्ट - III (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर के पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	प्रदत्त पूंजी का 20 प्रतिशत	कर के पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत	घोषित किया जाने वाला अपेक्षित न्यूनतम लाभांश	लाभांश में कमी
आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन								
9	हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2001.90	777.63	100.01	400.38	155.53	400.38	300.37
खनन								
10	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	119.55	59.44	11.96	23.91	11.89	23.91	11.95
न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी								
11	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	784.60	271.97	54.40	156.92	54.39	156.92	102.52
ऊर्जा								
12	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.05	34.77	0.50	0.01	6.95	6.95	6.45
13	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड	80.00	42.84	0.80	16.00	8.57	16.00	15.20
14	एनएचडीसी लिमिटेड	1962.58	766.46	231.58	392.52	153.29	392.52	160.94
रेलवे								
15	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	320.94	120.94	17.00	64.19	24.19	64.19	47.19
शिपिंग								
16	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	113.28	235.07	16.99	22.66	47.01	47.01	30.02
इस्पात								
17	मेकोन लिमिटेड	52.74	20.27	9.09	10.55	4.05	10.55	1.46
	कुल कमी							**2520.96**

परिशिष्ट - IV
(पैरा सं. 1.6 देखें)
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्धारित सीएसआर व्यय	अव्ययित सीएसआर राशि
1	अंतरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	5	5
2	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	33	19
3	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	9	4
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	164	63
5	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	76	42
6	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्युशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2	1
7	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	28	13
8	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	2
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	119	10
10	जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	27	9
11	हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड	69	24
12	हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	21	17
13	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाइजेशन	3	3
14	इंडिया ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	113	20
15	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	114	53
16	मझगांव डॉक लिमिटेड	13	13
17	मेकोन लिमिटेड	3	3
18	नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड	20	1
19	नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	12	8
20	नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड	13	1
21	एनएचडीसी लिमिटेड	19	16
22	एनएमडीसी लिमिटेड	190	2
23	नोदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	80	19
24	एनटीपीसी लिमिटेड	283	78
25	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	1	1
26	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	53	47
27	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	661	165
28	द ऑरिएन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	8	2
29	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	117	66

परिशिष्ट - IV (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्धारित सीएसआर व्यय	अव्ययित सीएसआर राशि
30	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	111	63
31	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	14	4
32	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड	1	1
33	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	103	57
34	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	130	90
35	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	78	43
36	दि न्यु इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	16	12
कुल		**2714**	**977**

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 2.6 देखें)

सीपीएसईज का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों से विचलन बताया गया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ग	सरकारी कंपनी (जीसी) और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (डीजीसी)	लेखांकन मानक की संख्या
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	डीजीसी	एएस – 1 और 9
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 6, 10 और 26
3.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 1, 2, 21 और 28
4.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 17
5.	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 1, 2, 5, 22 और 28
6.	फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस- 2, 15 और 28
7.	गोवा एंटीबॉयोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 22 और 26
8.	एच एम टी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
9.	एच एम टी (वॉचेस) लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 2, 6, 28 और 29
10.	एच एम टी लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
11.	एच एम टी मशीन टूल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
12.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस – 1, 10 और 28
13.	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 2, 9, 10, 22 और 29

परिशिष्ट - V (जारी)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ग	सरकारी कंपनी (जीसी) और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (डीजीसी)	लेखांकन मानक की संख्या
14.	एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 13
15.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस -11
16.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 2, 6, 10, 13, 15 और 28
17.	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 22 और 28
18.	एमएसटीसी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 11
19.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2
20.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2, 6, 9, 10, 13, 28 और 29
21.	नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्क	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 3, 4, 9, 15, 18 और 26
22.	नेशनल जूट मैनुफेक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 28
23.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 9
24.	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 19 और 28
25.	नोर्थ इस्टर्न हेंडिक्राफ्ट एंड हेन्डलूम डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 15 और 22
26.	नोर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्किटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2013-14)	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 2 और 15
27.	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	असूचीबद्ध	डीजीसी	एएस - 10
28.	राइट्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 11
29.	सेक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस – 2, 9, 10 और 29
30.	द ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
31.	तुंगभद्र स्टील प्रोड्क्ट्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस - 28

परिशिष्ट - VI

(पैरा संख्या 3.1.3 देखें)

निगमित अभिशासन पर अध्याय के लिए कवर किए गए सूचीबद्ध सीपीएसईज़

क्र. सं.	सीपीएसईज की सूची
1	एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड
2	बामर लारी एंड क. लिमिटेड
3	बाल्मर लावरी इंवेस्टमेंट लिमिटेड
4	बीईएमएल लिमिटेड
5	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
6	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
7	भारत इम्युनोलोजीकल्स एंड बायोलॉजिकलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	कोल इंडिया लिमिटेड
11	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड
14	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
15	गेल (इंडिया) लिमिटेड
16	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
17	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
18	हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड
19	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
20	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स (एमएफजी) कम्पनी लिमिटेड
22	एचएमटी लिमिटेड
23	इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25	आईटीआई लिमिटेड
26	केआईओसीएल लिमिटेड
27	मद्रास फर्टीलाईजर्स लिमिटेड
28	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
29	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
30	एमएमटीसी लिमिटेड
31	एमओआईएल लिमिटेड
32	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

परिशिष्ट - VI (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज की सूची
33	नेशनल फर्टीलाईजर्स लिमिटेड
34	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
35	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
36	एनएचपीसी लिमिटेड
37	एनएमडीसी लिमिटेड
38	एनटीपीसी लिमिटेड
39	आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
40	ऑयल इंडिया लिमिटेड
41	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
42	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
43	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाईजर्स लिमिटेड
44	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
45	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
46	दि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
47	एसजेवीएन लिमिटेड
48	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
49	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट - VII

लेखापरीक्षा के लिये चयनित 36 सीपीएसई के संबंध में 31 मार्च 2015 को मुख्य वित्तीय

(पैरा सं. 4.4.1 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि और अधिशेष	टर्नओवर	पीबीटी	कर के बाद लाभ	नकद आर बैंक शेष	औसत दीर्घकालिक उधार*	बाजार पूंजीकरण@
1	बामर लॉरी एंड कं. लिमिटेड	28.50	875	2740	210	147	361	0	1807
2	बीईएमएल लिमिटेड	41.77	2035	2809	7	7	145	415	6306
3	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	80	7805	6695	1467	1167	5882	0	31896
4	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	489.52	33595	30947	2140	1419	9813	98	68215
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	723.08	21744	238087	7416	5085	1360	9685	66914
6	चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	149	1506	41866	-742	-39	40	1381	2851
7	कोल इंडिया लिमिटेड	6316.36	34037	72015	21584	13727	53093	484	277478
8	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	194.97	7441	5574	1294	1048	2588	0	32037
9	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	168.47	2399	1713	468	308	2373	0	8140
10	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1268.48	27852	56742	4284	3039	1141	8494	45088
11	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	462.61	1399	1016	80	68	320	0	5709
12	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	339.01	15683	206626	4154	2733	17	13119	31291
13	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2428	65542	450756	7995	5273	112	28610	104706
14	मद्रास फर्टीलाईजर्स लिमिटेड	162.14	-505	1702	-135	-135	18	229	0
15	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	630	1437	3400	-2902	-2893	71	8351	1194
16	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1752.66	3552	57463	-2155	-1712	10269	7500	12768
17	मॉयल लिमिटेड	168	3214	823	651	428	2830	0	3905
18	एमएमटीसी लिमिटेड	100	1259	18284	60	48	164	0	4725

परिशिष्ट - VII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसई	चुकता पूंजी	आरक्षित निधि और अधिशेष	कुल व्यापार	पीबीटी	कर के बाद लाभ	नकद आर बैंक शेष	औसत दीर्घकालिक उधार*	बाजार पूंजीकरण@
19	नेशनल एल्यूमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड	1288.62	11509	7382	2113	1322	4628	0	9149
20	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड*	120	1204	4662	391	277	1059	0	5062
21	नेशनल फर्टीलाईजर्स लिमिटेड	490.58	990	8520	45	26	5	2501	1349
22	एनएचपीसी लिमिटेड	11070.67	17216	6802	2826	2124	5422	18056	20979
23	एनएमडीसी लिमिटेड	396.47	31935	12356	9769	6422	18443	0	40420
24	एनटीपीसी लिमिटेड	8245.46	73412	73246	10545	10291	12879	64731	111231
25	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड	1677.71	13194	6088	2383	1580	3265	2898	13841
26	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड*	4277.76	140323	82871	26555	17733	2760	0	233608
27	ऑयल इंडिया लिमिटेड	601.14	20913	9748	3729	2510	8707	3285	25993
28	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*	1320	30899	24861	8378	5959	5071	142872	32453
29	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*	5231.59	32935	17780	6289	4979	2063	76414	74053
30	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाईजर्स लिमिटेड	551.69	2159	7713	510	322	85	308	3001
31	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड*	987.46	23870	20388	7427	5259	523	110764	26795
32	एसजेवीएन लिमिटेड	4136.63	6066	3261	2047	1677	2856	2181	10445
33	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	60	979	14494	31	26	7	59	879
34	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4130.53	39734	50627	2359	2093	2305	13715	23338
35	दि फर्टीलाईजर्स एंड केमिकल्स त्रेवनकोर लिमिटेड	647.07	-1504	1979	-400	-400	88	190	1462
36	दि शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	465.80	6068	4186	276	201	1256	6321	2150
	कुल	**61201.75**	**682772**	**1556223**	**131150**	**92119**	**162019**	**522661**	**1341238**

*तीन साल का औसत

@31 जुलाई को 2015

परिशिष्ट - VIII
31 मार्च 2015 तक निवेश
(पैरा सं. 4.5.4.3 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	नकद	बैंक/एफडी	सरकारी बांड आदि	म्युचुअल फंड	इक्विटि	कॉरपोरेट जमा	विविध	कुल
1	बामर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड	0.21	362.11	0	0	57.40	0	0	419.72
2	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	0.17	5881.36	0	0	0	0	0	5881.53
3	बीईएमएल लिमिटेड	69.73	75	0	0	0	0	0	144.73
4	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड	291.32	9521.38	0	0	413.76	12	0	10238.46
5	भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	52.74	1307.46	5089.09	0	7302.05	650	0	14401.34
6	कोल इंडिया लिमिटेड	8.16	53084.36	1171.42	1637.67	4.27	0	0	55905.88
7	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15.76	2572.17	0	0	0	481.31	0	3069.24
8	चैन्ने पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	39.90	0	25.42	0	0	0	65.32
9	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	12.55	2360.37	0	124	10.20	0	13.28	2520.40
10	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0.32	1141.32	0	0	4322.36	0	0	5464.00
11	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	0	251.77	0	68.07	0	0	0	319.84
12	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7.81	9.26	5373.96	0	5867.52	0	0	11258.55
13	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.93	107.97	11982.11	0	11917.38	0	0	24011.39
14	मद्रास फर्टीलाईजर्स लिमिटेड	0.07	17.61	0	0	0.40	0	0	18.08
15	एमएमटीसी लिमिटेड	0.00	163.77	0	0	445.66	0	0	609.43
16	मॉयल लिमिटेड	0.14	2829.75	0	0	4.21	0	0	2834.10
17	मेंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोलियम लिमिटेड	0.18	10268.53	0	0	1349.67	0	3086.46	14704.84
18	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	3.93	66.71	0	0	161.98	0	0	232.62

परिशिष्ट - VIII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	नकद	बैंक/एफडी	सरकारी बांड आदि	म्युचुअल फंड	इक्विटि	कॉरपोरेट जमा	विविध	कुल
19	नेशनल एल्यूमिनीयम कंपनी लिमिटेड	0.14	4627.84	0	951.04	0	0	0	5579.02
20	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन	0.06	1059.40	0	135	24.15	0	0	1218.61
21	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3.17	2.05	0	0	2.47	0	0	7.69
22	एनएचपीसी लिमिटेड	15.01	5407.10	1045.46	0	1227.90	0	0	7695.47
23	नेयवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	3265.46	103.20	0	1830.86	980.52	0	6180.05
24	एनएमडीसी लिमिटेड	0.09	18443.05	0	0	562	0	0	19005.14
25	एनटीपीसी लिमिटेड	59.78	12819.03	7154.07	225	0	0	0	20257.88
26	ऑयल इंडिया लिमिटेड	0.76	8706.54	1199.16	210	0	0	141.54	10258.00
27	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.67	2759.40	0	0	17926.91	0	0	20686.98
28	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	5070.79	0	0	851.32	0	0	5922.12
29	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.16	2062.82	192.92	0	733.50	0	0	2989.40
30	राष्ट्रीय केमकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.04	85.29	0	0	33.05	0	0	118.38
31	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	522.90	1573.62	0	39.85	0	0	2136.37
32	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	145.78	2159.46	0	0	919.07	0	0	3224.31
33	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.01	6.50	0	0	0	0	0	6.51
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	2856.32	0	0	8	0	0	2864.32
35	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रेवेनकोर लिमिटेड	0.08	88.31	0	0	36.53	0	0.14	125.06
36	दि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड	98.09	1158.07	0	76.69	13.45	0	0	1346.30
	कुल	**790.88**	**161161.13**	**34885.01**	**3452.89**	**56065.92**	**2123.83**	**3241.42**	**261721.08**

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in